शुक्रवार,
७ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.12

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

पृष्ठ भाग

बुधवार, १२ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

लोक सभा

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

चलचित्र विभाग

*२२९८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किन्हीं विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना के अधीन पिछले बारह महीनो में चलचित्र विभाग में साउण्ड रिकार्डिंग, फोटोग्राफ़ी अथवा निदेशन की शिक्षा दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार के कोई प्रशिक्षित टेक्नीशियन चलचित्र विभाग में नियोजित किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख) हां, श्रीमान् तीन उम्मीदवार प्रशिक्षित किये गये थे; एक अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

(ग) जिन तीन उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उन्होंने चल-

चित्र विभाग में असिस्टैंट केमरामैन के पदों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे और अन्य प्रार्थियों के साथ ही उनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रशिक्षण में नये विद्यार्थी भरती किये जायेंगे और यह जारी रहेगा अथवा केवल दो या तीन बैच ही प्रशिक्षित किये जाने हैं ?

डा० केसकर : प्रशिक्षण देने का विचार केवल हमारे अपने उपयोग के लिये लोगों को प्रशिक्षित करना नहीं है लेकिन चूंकि हमारे अच्छा सुसज्जित प्रतिष्ठान हैं हमने सोचा कि यदि हम कुछ संख्या में टेक्नीकल व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं तो यह सामान्य रूप में व्यापार के लिये लाभदायक सिद्ध होगा, यद्यपि संख्या सीमित करते हुए हमें और अधिक आदमी लेने पड़ेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पहले से नियोजित कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाते हैं अथवा बाहर से नये विद्यार्थी भी भरती किये जाते हैं ?

डा० केसकर : प्रशिक्षित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित है लेकिन स्थान उपलब्ध होने के अनुसार हम बाहर से व्यक्तियों को लेते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जानना चाहता हूं कि इतिहास और भूगोल के

सम्बंध में निर्मित किये जाने वाले प्रलेखित चलचित्रों के लिये विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये कोई व्यवस्था है ; यदि नहीं, तो इतिहास और भूगोल के लिये चलचित्र उत्पादन करने के लिये विशेष प्रशिक्षिणार्थ विद्यार्थियों को भारत से बाहर भेजने का विचार है ?

डा० केसकर : मैं प्रश्न का प्रथम भाग नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रलेखित चलचित्र निर्माण के लिये विद्यार्थियों को भारत से बाहर प्रशिक्षित कराने की योजना है ? मेरा विचार है कि यह एक भिन्न प्रश्न है ।

डा० केसकर : किसी प्राविधिक शिक्षा के अधीन प्रशिक्षण इस मंत्रालय का काम नहीं है । प्रलेखित चलचित्रों में हमारे अपने एक या दो विशेषज्ञ हैं जिन्हें आगे प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया है ।

बाहर भेजे गये अधिकारी

*२२९९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने १९५३ में कितने अधिकारियों को काम पर विदेश भेजा;

(ख) वे किन किन प्रयोजनों के लिए भेजे गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री : (श्री करमरकर) : (क) १६ ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) लगभग ९१५०० रुपये ।

श्री एस० एन० दास : कितने मामलों में, काम पर विदेश भेजे गए सरकारी अधिकारी, आवश्यक्ता से अधिक समय तक विदेशों में रहे ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में वे आवश्यक्ता से अधिक समय तक विदेशों में नहीं रहे ।

श्री एस० एन० दास : जो अधिकारी बाहर भेजे गए थे उन्हें प्रतिवेदन देने को कहा गया था और कितने मामलों में प्रतिवेदन मिले हैं ?

श्री करमरकर : कभी कभी, से कि व्यापार तथा तटकर सम्बन्धी सामान्य करार के बारे में, प्रतिवेदन दिया जाता है और अन्य मामलों में वे मंत्रालय को प्रतिवेदन देते हैं ।

श्री बंसल : विवरण में दिया हुआ है कि पिछले वर्ष में अधिकारी व्यापार तथा तटकर सम्बन्धी सामान्य करार के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए तीन बार गए । क्या इस बात को देखते हुए सरकार कम से कम एक एसा सम्मेलन भारत में बुलाने का विचार नहीं कर रही है ?

श्री करमरकर : यह बड़ा अच्छा सुझाव है परन्तु हमें इस पर विचार करना पड़ेगा :

डा० राम सुभग सिंह : क्या १९५३ में कोई अधिकारी किसी दूसरे देश की सरकार या किसी विदेशी संस्था के आमंत्रण पर न कि भारत सरकार के काम पर बाहर गया ?

श्री करमरकर : जहां तक मेरा विचार है, राष्ट्र मण्डलीय वित्तमंत्री सम्मेलन राष्ट्रमण्डल के देशों का सम्मेलन था परन्तु

अधिकारी तो हमारे अपने काम से भेजे गए थे ।

हथकर्घा उपकर निधि

*२३००. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपकर निधि में से बिहार को जो हिस्सा दिया गया है उस से वहां के हथकर्घा कमकर संतुष्ट नहीं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में दिसम्बर, १९५४ में बिहार राज्य हथकर्घा कमकर सम्मेलन की कार्यकारी समिति के संकल्प की ओर दिलाया गया है ; तथा

(ग) इस आवंटन का आधार क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । नहीं श्रीमान् । भारत सरकार बिहार सरकार से संव्यवहार करती है तथा उन्हों ने इस सम्बन्ध में उन से कोई विशेष बात नहीं सुनी है ।

(ग) यह अखिल-भारत हथकर्घा बोर्ड के प्रथम वार्षिक प्रतिदेदन के पैरा २४ तथा २५ में स्पष्ट किया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या बिहार के हथकर्घा बुनकारों ने सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन पेश किया है कि यह बांट हथकर्घों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये न की उठाई गई सूत की मात्रा के आधार पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस तरह के अभ्यावेदन प्रायः प्राप्त किये जाते हैं ; परन्तु मुझे याद नहीं है कि क्या इस तरह का कोई अधिकृत अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और न ही सरकार इस बांट के आधार को बदलने का विचार रखती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : हथकर्घों के आधार पर कोटा बांटने की प्रार्थना को स्वीकार करने में कठिनाई क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कठिनाई यह है कि हमें हथकर्घों की ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं । सरकार ने समय समय पर जो जांच की है उस से पता चलता है कि कुछ कर्घे तो बिल्कुल जाली हैं तथा हम इस तरह के ग़लत आंकड़ों के आधार पर धन आवंटित नहीं कर सकते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में सूत की कमी के कारण वहां के बुनकरों को ज्यादा सूत नहीं मिलता है तथा इस कारण से अनुदान आवंटित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक बिल्कुल अलग मामला है । यदि अभ्यावेदन किये जायेंगे तो हम इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से पत्र व्यवहार करेंगे तथा इस बात की ओर ध्यान देंगे कि किसी दोष विशेष को दूर करने के लिये क्या कुछ किया जा सकता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कोटा में से कई पिछड़े हुये क्षेत्रों को, उदाहरणतयः सन्थाल परगना की आदिम जातियों को कुछ भी नहीं दिया जाता है तथा क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पिछडे हुये क्षेत्रों की जनता से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि इस बांट को छोड़ कर भी हम आदिम जातियों की सहायता करना चाहते हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि अभ्यावेदन किये गए हैं तथा मैं ने उन्हें इस मामले की जांच करने का वचन दिया है किन्तु हमें कुछ और तथ्य तथा आंकड़े प्राप्त होने चाहियें।

फरीदाबाद में बेकारी

*२३०१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ़रीदाबाद की बेकारी को दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : सरकार ने फरीदाबाद के उद्योगपतियों को कुछ रियायतें देने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन पटल पर रखी जा रही है । [**देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या ४७**]। ६ उद्योग स्थापित करने की योजना तय्यार की जा चुकी है। आशा की जाती है कि इन में १,००० आदमियों की खपत हो जायगी। अन्य उद्योगों की योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ सरकारी दफ्तरों को भी फरीदाबाद स्थानान्तरित करने का उपाय किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों के निर्माण कार्यों में तथा फरीदाबाद के सहायता तथा नियोजन कार्यों में १,५०० व्यक्तियों को काम दिया जा चुका है।

श्री डी० सी० शर्मा : मन्त्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है, तथा कितने व्यक्तियों ने अनुदानों तथा उन सब सुविधाओं के लिये जो मंत्रालय उद्योगपतियों को देने जा रहा है, प्रार्थना पत्र भेजे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : अनुदानों के लिये आवेदन पत्र भेजने वालों की सूची मेरे पास नहीं है। कितने ही उद्योग-पतियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं तथा हम लगभग छः समवायों से वार्ता कर रहे हैं यदि यह छः तै हो गये तो हम लगभग १,००० व्यक्तियों को कार्य दे सकेंगे।

श्री डी० सी० शर्मा : इस सम्बंध में किन उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : नकली रेशम का कारखाना डीजेल तेल कारखाना कब्जे तथा लौह सामग्रियां, बिजली के सामान इत्यादि।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि फरीदाबाद के बिजली तथा पानी के दाम तथा भूमि के दाम अन्य किसी भी औद्योगिक केंन्द्र से अधिक हैं ? यदि हां तो उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जिस में और अधिक लोगों को काम दिया जा सके, सरकार इन के दाम घटाने के लिये कौन से प्रयत्न करने का विचार कर रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : इस प्रश्न का एक दम से उत्तर देना कठिन है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं पानी तथा बिजली के दामों के सम्बन्ध में फरीदाबाद के उद्योगपतियों को प्रत्येक संभव सुविधा दी जा रही है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इन १,५०० व्यक्तियों के जाने का खर्चा दे रही है जिन को वहां निर्माण कार्यों के लिये भेजा जाता है ? उन

को प्रति दिन मिलने वाली मज़दूरी कितनी है ?

श्री जे० के० भोंसले : उन को साधारण मज़दूरी मिलती है तथा सरकार उन के भेजे जाने का खर्चा करती है ।

रूस से व्यापार

*२३०२. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-रूस व्यापार समझौता होने के पश्चात् कुल कितने मूल्य का रूस से आयात तथा निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या समझौते के अन्तर्गत सरकार ने रूस से कोई पूंजी वस्तुयें आयात की हैं ; तथा

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत भारत से रूस को किन किन वस्तुओं का निर्यात हुआ है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक: एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४८**]

श्री वोडयार : वस्तुओं का किन दरों पर आयात होता है, तथा वे अन्य देशों से आयात होने वाली वस्तुओं की अपेक्षा कैसी होती है ?

श्री करमरकर : मैं यह बताने में असमर्थ ।

श्री वोडयार : क्या रूस से इस व्यापार का अमरीकी व्यापार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ?

श्री करमरकर : नहीं । एक देश के व्यापार का दूसरे देश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : विवरण में मैं देखता हूं कि भारत से रूस को होने वाले निर्यात के रूप में बहुत थोड़ी मदें दी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या दी हुई सूची व्यापक है, या रूस को अन्य वस्तुओं का भी निर्यात होगा ।

श्री करमरकर : यह ठीक सूची है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह व्यापक सूची है ?

श्री करमरकर : हां ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : विवरण से मुझे विदित होता है कि रूस से कोई पूंजीगत वस्तुओं का आयात नहीं हुआ है । क्या सरकार ने किसी पूंजीगत वस्तु का आयात करना ठीक नहीं समझा है ? अथवा, रूस से पूंजीगत वस्तु न मंगाने के क्या कारण हैं ।

श्री करमरकर : हम अपने आयात कर्ताओं को अनुमति दे देते हैं कि वे जो चाहें जहां से आयात करें । मैं समझता हूं कि रूस ने हाल में ही भारत को आम्भस वरीवर्तों का प्रस्ताव दिया था, तथा प्रस्ताव की सूचना व्यापार तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को दे दी गई थी । इसके अतिरिक्त, मैं देखता हूं कि उन्होंने १२ एच० पी० के० पहिये की प्रकार के ट्रैक्टरों को जो वैंजीन से चलते हैं, ४,३८५ रु० के लागत, बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य पर देने का प्रस्ताव दिया है । मैं समझता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का विचार इन ट्रैक्टरों में से चार ट्रैक्टरों को य देखने की दृष्टि से मोल लेने

का है कि वे छोटे छोटे कृषकों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : विवरण के अनुसार विगत तीन मासों में भारत ने रूस से २२ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का आयात किया है । आयात किन किन वस्तुओं का किया गया है ।

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

"शति" खाद्य उद्योग

*२३०३. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में "शति" खाद्य उद्योग के विकास के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग): हां, श्रीमान् । एक गैर सरकारी फर्म द्वारा "शति" खाद्य उद्योग के विकास के लिए योजना आयोग के पास एक योजना प्रस्तुत की गई थी । त्रिपुरा की सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया था कि "शति" खाद्य के निर्माण की जांच प्रयोगात्मक आधार पर की जाय । इसी के अनुसार भारत सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए त्रिपुर की सरकार को ६,००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया है ।

सदन की सूचना हेतु मैं यह और कहना चाहूंगा कि 'शति' को 'शति खाद्य' 'शति पालू' और कलकत्ता में इसे 'तिखनुर' आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है । यह एक पौदे से बनाया जाता है जो त्रिपुरा, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में अधिकता से बोया जाता है । 'शति पालू' एक पौदे को जड़ों से बनाया जाता है जो औषधि पौदा है और जो शीत ऋतु में नष्ट हो जाता है ।

उत्तरी-पूर्वी सीमा एजेंसी

*२३०४. **श्री धूसिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरी-पूर्वी सीमा एजेंसी के इंजीनियरिंग कर्मचारियों में राजयमित पदों की कितनी संख्या है ; तथा

(ख) उनकी भर्ती किस प्रकार की जाती है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) स्वीकृत पदों की संख्या २८ है जिसमें से तेईस पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

(ख) सहायक इंजीनियर तथा उससे उच्च पद के अधिकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बुलाए जाते हैं । उप-क्षेत्र अधिकारी तथा निम्न पद के लोगों की भर्ती एक स्थानीय बोर्ड के द्वारा की जाती है, जिस की स्थापना स्थानों का अत्यधिक प्रचार करने के पश्चात् आसाम के राज्यपाल द्वारा इस कार्य के लिए की गई है ।

श्री धूसिया : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः भर्ती किए गए लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री जे० एन० हजारिका : अधिकांशतः अधिकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के होते हैं—जैसे चार एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों में से तीन तथा १४ सहायक इंजीनियरों में से १३ इंजीनियर वहीं के होते हैं। स्वयं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो कि विस्थापित सरकारी कर्मचारी है, की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग, गृह-कार्य तथा निर्माण आभास तथा संभरण मंत्रालयों की अनुमति से वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा सीधे की गई थी। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा एक सहायक इंजीनियर आसाम लोक निर्माण विभाग के हैं ; जबकि उप-क्षेत्र अधिकारी तथा मकेनिकल इंजीनियर तथा आवागमन अधिकारी सीधे स्थानीय प्रशासन द्वारा भर्ती किए गए हैं।

श्री धूसिया : उस एजेंसी में इंजीनियरिंग विभागों की कितनी संख्या है ?

श्री जे० एन० हजारिका : इसमें पांच विभाग तथा बीस उप-विभाग हैं जिनमें एक योजना उप-विभाग भी सम्मिलित है।

बिहार में विद्युत संभरण योजनाएं

*२३०५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बिहार राज्य में विद्युत संभरण योजनाओं के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना को विस्तृत करने के लिए सहमति दे दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए ३२६ लाख रुपये के ऋण का अनुदान दिया गया है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो किन क्षेत्रों में विद्युत संभरण बढ़ाने का विचार है।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) ये योजनाएं सारे बिहार राज्य में फैलाई जायेगी।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि उत्तर बिहार में अपेक्षाकृत बिजली की सप्लाई में बड़ी कमी है, यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को उत्तर बिहार में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री हाथी : हां यह सच है कि बिहार में बिजली कम है, इस प्रयोजन से योजना आयोग ने इन विद्युत योजनाओं पर विचार किया है जो राज्य सरकार ने प्रस्तुत की हैं और जिन पर २६५ लाख रुपये का व्यय होगा। इन में से २५० लाख रुपये बिहार के लिए वर्ष १९५४-५५ के लिये नियत किये गये हैं।

श्री अनिरुद्ध सिंह : बिजली की उपलब्धि में वृद्धि होने से मुख्यतः किन किन कामों में लगाये जाने की योजना बनाई गई है ?

श्री हाथी : प्रस्तुत की गई योजनाओं के अनुसार यह सारे राज्य के लिए है। महत्वपूर्ण स्थान गया, पटना के क्षेत्र और.....

श्री अनिरुद्ध सिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि विद्युत संभरण के बढ़ जाने के पश्चात् उसका क्या प्रयोग किया जायेगा।

श्री हाथी : यह घरेलू, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों में लगाई जायेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह विद्युत नदी घाटी परियोजनाओं में से पैदा की जायेगी या ताप संयंत्र से; और यदि नदी घाटी परियोजनाओं से तैयार की जायेगी तो किन नदियों से ?

श्री हाथी : कुछ विद्युत दामोदर घाटी परियोजना से तैयार की जायेगी और कुछ ताप संयंत्र से ।

श्री एल० एन० मिश्र : उत्तरी बिहार के लिए संभरण कैसे होगा ?

श्री हाथी : ताप संयन्त्र द्वारा ।

मैसूर की इमारती लकड़ी (निर्यात)

*२३०६. **श्री राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में मैसूर की कितनी इमारती लकड़ी निर्यात की गई ;

(ख) ऐसी इमारती लकड़ी का कुल मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख): संभवतः माननीय सदस्य मैसूर राज्य में पैदा होने वाली इमारती लकड़ी की ओर निर्देश कर रहे हैं जो उस राज्य से निर्यात की जाती है, विभिन्न वस्तुओं के निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़ों के अभिलेख उन स्थानों के अनुसार पृथक पृथक नहीं रखे जाते जहां वे वस्तुएं बनती हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इमारती लकड़ी पाकिस्तान को निर्यात की जाती है, यदि ऐसा है तो उस की वार्षिक औसत मात्रा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध मैसूर से है ।

श्री मुनिस्वामी : इस का सम्बन्ध इमारती लकड़ी के निर्यात से है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इमारती लकड़ी पाकिस्तान को निर्यात की जाती है ।

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी

*२३०७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी का कापेंग सीमांत डिवीजन प्रशासित क्षेत्र में ले आया गया है ; तथा

(ख) यदि सच है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ?

वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कापेंग सीमांत-डिवीजन का अधिकांश भाग प्रशासित क्षेत्र में ले आया गया है ।

(ख) लगभग ४,००० वर्गमील ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : अभी कितने अ:प्रशासित क्षेत्र प्रशासित-क्षेत्रों में लाए जाने को हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक इस सबडिवीजन का सम्बंध है, हमारा प्रशासन व्यवहारतः पूरा क्षेत्र समेटता है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : अब तक अप्रशासित क्षेत्रों में प्रशासन के केन्द्रीकरण को पूरा करने में सरकार कितने वर्ष लगाएगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : एक समयावधि निश्चित करना बहुत कठिन

है पर अपने प्रशासन को ठीक सीमांत तक बढ़ाने के लिए हम भरसक सब कुछ कर रहे हैं ।

विस्थापित अध्यापक

*२३१०. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी पाकिस्तान के सहायता प्राप्त विद्यालयों के विस्थापित अध्यापकों से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं, जिनमें निवेदन किया गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान में उनकी भविष्य निधि और डाक-निक्षेपों की प्रतिभूतियों के आगे उनको अंतरिम भूगतान कर दिए जाएं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ग) यदि कर लिया है, तो उसका निर्णय क्या है ?

पुनर्वास मंत्री श्री ए० पी० जैन : (क) हां।

(ख) तथा (ग). हां, निर्धन परिस्थितियों वाले अध्यापकों को सहायता देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : कई वर्ष बीत चुके हैं ; यह योजना कब कार्यान्वित की जाएगी ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे लिए तिथि निश्चित करना कठिन है । हम इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय में उठा रहे हैं, और सहमति होते ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री गिडवानी: योजना के अंतर्गत उनको दिए जाने वालों देयों का प्रतिशतक क्या होगा ?

श्री ए० पी० जैन : जब योजना विचाराधीन है, तो मेरे लिए उसके विवरण प्रकट कर देना उचित नहीं है हां, योजना के अंतिम रूप को प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

*२३१२. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५२-५३ सम्बन्धी सप्तम प्रतिवेदन संस्करण १ के पैरा १६ में लोक लेखा समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा मिशनों की आयव्ययक सम्बन्धी तथा वित्तीय नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किये गये हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो वे उपाय क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, प्रारम्भिक उपाय किये जा चुके हैं तथा अग्रेतर कार्यवाही हो रही है ।

(ख) वित्तीय नियन्त्रण के काफी न होने का कारण यह था कि प्रारम्भ में कितने ही कार्यालयों को अप्रवीण कर्मचारियों से तथा कार्य में पथप्रदर्शन के लिए अनुदेशों के अभाव की कठिनाइयां थी। कई स्थानों में अप्रवीण कर्मचारियों के स्थान पर प्रवीण कर्मचारी आ चुके हैं तथा प्रतिस्थापन का यह कार्य अभी चल रहा है। आयव्ययक में प्राक्कलनों के तैयार करने, सरकारी नियमों का कठोरता से पालन विभागीय लेखों का उचित प्रकार से बनाये रखने, व्यय के नियन्त्रण तथा उन विशेष अनियमितताओं के न होने देने के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं जो

प्रशासनात्मक निरीक्षणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के फलस्वरूप ध्यान में आती हैं।

हाल में एक वैदेशिक सेवा निरीक्षण-कार्यालय खोला गया है। एक वरिष्ट वित्त अधिकारी को निरीक्षक के साथ लगाया जायगा। ऐसा उस समय किया जायगा जब निरीक्षक दल अपने प्रथम निरीक्षण के सम्बन्ध में दौरे पर जायगा जो पर्यवेक्षणात्मक प्रकार का होगा। वित्त अधिकारी की सहायता से निरीक्षक लोग इस मामले की जांच करेंगे तथा विभिन्न मिशनों द्वारा किये गये व्यय पर वित्तीय नियन्त्रण के अच्छे उपायों का सुझाव देंगे। उचित समय में निरीक्षण कार्यालय को बढ़ाया जायेगा अथवा समय समय पर आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों को अपना काम चलाने के योग्य बनाने के लिए प्रादेशिक कार्यालय खोले जा सकते हैं।

श्री संगण्णा : क्या ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के साथ लगाए गए वित्तीय परामर्शदाता के कृत्य निश्चित कर दिए गए हैं तथा यदि ऐसा है तो किसने ऐसा किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : लन्दन स्थित उच्च आयुक्त से संलग्न लेखापरीक्षा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से महालेखापरीक्षक के अधीन हैं तथा उनके सम्बन्ध में महालेखापरीक्षक द्वारा नियम बनाए गए हैं।

श्री संगण्णा : लोक-लेखा समिति ने यह सुझाव दिया है कि ब्रिटेन के उच्च आयुक्त से संलग्न वित्तीय परामर्शदाता को निश्चय ही वित्त मंत्रालय के अधीन दिया जाना चाहिए तथा उन्हें उच्च आयुक्त के अधीन नहीं रहने देना चाहिए। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है

श्री अनिल के० चन्दा : मंत्रालय इस सारे प्रश्न की विस्तारपूर्वक जांच कर रहा है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या पैरिस में भारतीय दूतावास की इमारत के खरीदने में, जिस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, सरकार के ध्यान में कोई अनियामितताएं आई हैं ?

श्री अनिल के० चन्द्रा : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उपमंत्री द्वारा निर्दिष्ट अप्रवीण कर्मचारियों के स्थान पर प्रवीण कर्मचारियों को रखने में सरकार कितना समय लेगी तथा उस कर्मचारीवर्ग को प्रशिक्षित करने में किस प्रक्रिया को अपनाया जायगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह कार्य पहले से हो रहा है जैसा कि मैंने कहा है, कई अप्रशिक्षित कर्मचारियों के स्थान पर प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जा चुके हैं।

नमक

*२३१३. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि सरकार को दक्षिण अर्काट जिले में मरक्कनाम के नमक निर्माताओं से नमक के निर्माण तथा विक्रय की कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधानों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) मरक्कनाम

नमक फैक्टरी के कुछ नमक निर्माताओं से एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रतिनिधान में उठाई गयी बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को विदित है कि नमक निर्माता गैर-लाइसेंसी क्षेत्रों में नमक निर्माण करते हैं जिससे लाइसेंस शुल्क देने वालों को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी हां । इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और सदन को विदित है कि हमने इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि नमक के विक्रय के लिए कोई संगठन है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सोडियम क्लोराइड के ठीक ठीक प्रतिशत की जांच करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिए जायेंगे ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ भ्रान्ति है । भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा एक प्रमाप निर्धारित कर दिया गया हैं तथा नमक को मद्रास की प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां कि उक्त संस्था द्वारा उसका वास्तव विश्लेषण किया जाता है । पदाधिकारी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि विक्रय का कार्य राज्य संगठन प्राधिकारियों को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सांभर, खरगोदा आदि में सरकार की कुछ नमक की फैक्टरियां हैं । उनका अपना स्वयं का संगठन है । किन्तु अन्यथा यह पूर्णतया एक निजी उद्योग है और वितरण आदि के सम्बन्ध में सामान्य निरीक्षण रखने के अतिरिक्त हमें इससे कोई और मतलब नहीं रहता ।

मैथन बांध

*२३१४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैथन बांध को १९५४-५५ के अन्त तक बन कर तय्यार हो जाना था ; तथा

(ख) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या इस परियोजना की निश्चित तारीख तक बन कर समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बांध के मिट्टी डालने का काम ६० प्रतिशत खत्म हो गया है जबकि कंक्रीट का काम भी शुरू हो गया है । ऐसी आशा की जाती है कि बांध निश्चित तारीख तक बन कर तय्यार हो जायगा । पानी निकलने के द्वार के बनने में तीन महीने और लगेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच हैं कि कंक्रीट का ५० प्रतिशत काम १९५३-५४ तक बन कर तय्यार हो जाना चाहिये था, किन्तु वास्तविक कार्य

आरम्भ नहीं किया गया और पूरा कार्य-काल बेकार हो गया है ?

श्री हाथी : कार्य के लिये मूल निश्चित काल यह था कि बांध सितम्बर १९५४ तक बन कर तय्यार हो जायगा । किन्तु संयंत्र के देर से मिलने के कारण कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शुरू नहीं हो सका। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, नवीनतम लक्ष्य १९५४-५५ है और कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैथन तथा पांचेत बांधों की मूल योजनाओं में मामूली सा परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : मैं ऐसा नहीं समझता । यह पांचेत के बारे में हो सकता है किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं जानता ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस बांध से कब तक बिजली मिल सकेगी ?

श्री हाथी : मूल अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार इसकी अवधि १९५४ की समाप्ति तक थी । किन्तु इसमें कुछ महीने लगने की सम्भावना है । यह डरबाइनों तथा जनरेटरों के आजाने पर निर्भर करता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या बिजली घर के बनाने का काम आरम्भ हो गया है ?

श्री हाथी : यह अभी तक नहीं बनाया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों से लिया जाने वाला मकान का किराया

*२३१५. **श्री शोभा राम :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में विस्थापित व्यक्तियों से लिये जाने वाले मकान का किराया निर्धारित करने में किन सिद्धान्तों को अपनाया जाता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्री शोभा राम : क्या यह राशि सभी शहरों के विस्थापित व्यक्तियों से ली जाती है या जन संख्या के आधार पर इसमें कोई भेदभाव किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : इस में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है । जिन सिद्धान्तों के आधार पर किराया निर्धारित किया जाता है वे निर्धारित हैं ।

श्री शोभा राम : क्या खेती की ज़मीन पर बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों को मकान का किराया देना पड़ता है ?

श्री ए० पी० जैन: वास्तव में इस प्रश्न का सम्बन्ध खेती की ज़मीन से नहीं है । यह तो केवल शहरों के बारे में है । फिर भी मैं इसका उत्तर देने को तय्यार हूं । किसानों को जो मकान दिये गये हैं उनका किराया नहीं लिया जाता ।

श्री शोभा राम : मेरा प्रश्न यह है। जहां विस्थापित-व्यक्ति शहर के पास की ज़मीन पर बसाये गये हों किन्तु वे शहरों में रहते हों तो क्या उन्हें मकान का किराया देना पड़ता है या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : शहरों में जिन विस्थापित व्यक्तियों को जमीन या मकान दिये गये हैं उनसे मकान का किराया लिया जाता है ।

फ्रन्सीसी भारत

*२३१६. **श्री रघुरामय्या :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को फ्रान्सीसी सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि फ्रान्सीसी भारत में संयुक्त शासन प्रारम्भ कर दिया जाये । तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुरामय्या : पैरिस में इस महीने की १४ तारीख को जो वार्त्ता होने वाली है क्या फ्रान्सीसी सरकार ने उसके सम्बन्ध में और कोई विशिष्ट सुझाव भेजा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये गये हैं । यहां से पैरिस को एक प्रतिनिधिमंडल जायेगा जो वहां पर वार्ता करेगा ।

श्री रघुरामय्या : क्या एक समाचार पत्र में छपे पेरिस की इस खबर में कोई सत्यता है कि हमारे प्रधान मंत्री को कोलम्बो में एक पत्र दिया गया था जिस में फ्रान्सीसी सरकार यह जानना चाहती थी कि यदि वह भारतीय बस्तियों से हट जाये तो भारत स्पष्टतः क्या क्या रियायतें दे सकता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इसका पता नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने कोलम्बो में कोई पत्र प्राप्त किया था ।

युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मशीनें

*२३१७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस निरीक्षण दल ने, जो जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई मशीनों की आवश्यक परीक्षा करके यह बताने के लिये नियुक्त किया गया था कि उन मशीनों को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, अपना कार्य समाप्त कर लिया है; तथा

(ख) क्या रक्षा और रेलवे की पहली और दूसरी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत इन समस्त मशीनों को प्रयोग में ले लिया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : उस सामान की मात्रा और पुस्तक मूल्य क्या है जो अब भी पड़ा हुआ है और किसी सरकारी संस्था को नहीं दिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में यह किसी सरकारी संस्था को देने का मामला नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि किसी भी सरकारी संस्था को इसकी आवश्यकता नहीं है । कुल मशीनों की संख्या ७४३ थी । मेरे पास पुस्तक मूल्य के आंकड़े नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि सरकार को इनकी आवश्यकता नहीं है तो क्या इनका नीलाम किया जायेगा या और किसी कार्य में इन्हें लगाया जायेगा !

सरदार स्वर्ण सिंह : शेष मशीनों के लिये टेण्डर मांग गये हैं ।

कोयला उत्पादन निधि

*२३१८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयला उत्पादन निधि के, जो कि अब कार्य नहीं कर रही है, हिसाबों को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पास कितना पैसा बचा है ; तथा

(ग) इस राशि को किस प्रकार खर्च करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं ; कुछ मदों के हिसाब अभी पूरे होने को हैं।

(ख) हिसाब की अन्तिम स्थिति अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एन० दास : ७ सितम्बर, १९५१ को पूछे गए मेरे प्रश्न के उत्तर को देखते हुए जब कि उस समय के वित्त मंत्री श्री त्यागी ने कहा था कि हिसाब पूरे नहीं हुए हैं, और आज के उत्तर को देखते हुए कि अभी हिसाब पूरे नहीं हुए हैं, क्या मैं इस विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : ये हिसाब इस निधि के अधीन के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में है। अधिकतर मदों के हिसाब पूरे हो गए हैं और कुछ थोड़े अभी बाकी हैं। जब तक ये अवशिष्ट हिसाब पूरे नहीं होते, तब तक हिसाब की अन्तिम स्थिति जानना असंभव है। इस काम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और आशा है कि हम शीघ्र ही इसको कर लेंगे।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जमा खर्च के अस्थायी आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : अस्थायी आंकड़े नहीं निकाले गए हैं। कतिपय मदों के अन्तिम आंकड़े निकाले गए हैं। कुछ मदों का हिसाब पूरा होने को है : उसके कुछ समय बाद ही सारी योजना का अन्तिम हिसाब जोड़ा जा सकेगा।

उड़ीसा में सामूहिक परियोजना

*२३१९. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री अप्रैल, १९५४ के 'कुरूक्षेत्र' के 'उड़ीसा में प्रगति' के बारे के १२ वें पृष्ठ का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सामूहिक परियोजनाओं के रास्ते में अनेक रूकावटें हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां, सामग्री के अभाव से परियोजनाओं की प्रगति में कुछ रूकावटें पड़ी थीं।

(ख) अब स्थिति बहुत कुछ बदल गई है। ६ ट्रैक्टर, ६ मैक्रोस्कोप, ९ रेफ्रिजरेटर, ३६ पंप, १ स्टेशन वैगन, ७ जीप ट्रैलर, २३ जीप गाड़ियां तथा ४ चलचित्र टुकड़ियां उपलब्ध कर दी गई हैं और अन्य वस्तुओं के लिए संभरण तथा उत्सर्जन के महा-निदेशक भारतीय संभरण मंडल, वाशिंग्टन से मांग की गई है।

श्री संगण्णा : क्या 'कुरूक्षेत्र' में उल्लिखित रुकावटों के कारण काम की प्रगति लक्ष्य से कम हुई है ?

श्री हाथी : नहीं। उससे प्रगति नहीं रुकी। यदि माननीय सदस्य इस लेख को गौर के साथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। किन्तु जनता का सहयोग

इतना तीव्र था कि हम अपने लक्ष्य कर पायें।

श्री संगण्णा : क्या भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों को सामूहिक योजनाओं सम्बन्धी सारा साहित्य अपनी अपनी भाषाओं में प्रकाशित करने के बारे में हिदायतें दी हैं ताकि लोग परियोजना का सम्पूर्ण अभिप्राय समझ सकें।

श्री हाथी : सामूहिक योजनाओं के बारे में प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करने की हिदायतें दी गई हैं।

डा० रामा राव : उपमंत्री महोदय ने बताया कि ६ मैक्रोस्कोप दिये गये हैं। क्या वे आर्डनेन्स डिपो में बनाये गए हैं या आयात किये गये हैं ?

श्री हाथी : आयात किये गये हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या अधिकारियों तथा उनके मकानों का बलसोर जिले के उपविभागीय मुख्यालय में होना भी सामूहिक परियोजना की प्रगति की दृष्टि से बाधक ही माना जाता है ?

श्री हाथी : मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं।

हिन्दुस्तान कारें

*२३२०. **श्री शोभा राम :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में कितनी 'हिन्दुस्तान कारें' बनाई गई थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : आंकड़े संग्रह अधिनियम के अधीन सरकार को व्यक्तिगत सार्थों से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी जानकारी उद्घाटित करना अनिवार्य नहीं है।

श्री शोभा राम : क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन कारों की स्थिरता तुलनात्मक रूप में बहुत कम है ?

श्री करमरकर : मुझे तुलनात्मक गुणावगुणों का पता नहीं है। किन्तु मेरे पास एक हिन्दुस्तान १४ कार है, और यह संतोषजनक काम कर रही है।

सेठ गोविन्द दास : इन मोटर कारों के कितने प्रतिशत हिस्से बाहर से आते हैं और कितने भारत वर्ष में बनते हैं ?

श्री करमरकर : यह इनफारमेशन मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री ए० एम० टामस : यह कार जिन पुर्जों से बनती है, क्या वे सब पुर्जे भारत में बनाये जाते हैं, और नहीं तो आयात किये गये पुर्जों का प्रतिशत और मूल्य क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सेठ गोविन्द दास के प्रश्न का उत्तर अभी दिया जायेगा।

श्री करमरकर : मैं उनके प्रश्न को नहीं समझ सका। मैं ने समझा कि उन्होंने पूछा है कि कितनी कारें मंगवाई गई थीं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते थे कि कितने पुर्जे मंगवाये गये थे।

श्री करमरकर : इस समय यहां ६५ प्रतिशत पुर्जे बनाए जाते हैं। बाकी पुर्जे बाहर से मंगवाये जाते हैं। यह दोनों प्रश्नों का उत्तर है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण

*२३२१. **श्री दशरथ देव :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि ऐसी बात है, तो इस के क्या कारण हैं !

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बहुत से शर्णार्थी लोगों ने पहले ही उपनगरों में मकान बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं किन्तु अब वह निर्माण काम अधूरा पड़ा है, क्योंकि या तो सरकार किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकती थी अथवा देना नहीं चाहती ? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार क्या नहीं कर रही है ?

श्री दशरथ देव : त्रिपुरा सरकार ने अब ऋण देना बन्द कर दिया है जिस का लोगों को अश्वासन दिया गया था जब उन्हों ने मकान बनाने का काम प्रारम्भ किया था ।

अध्यक्ष महोदय : इस अश्वासन पर कि लोगों को ऋण मिलेगा, मकान बनाने का काम प्रारम्भ किया गया था, किन्तु अब सरकार ऋण नहीं दे रही है ।

श्री ए० पी० जैन : सरकार वर्ष १९५३-५४ के लिये निर्धारित ५ लाख रुपये की राशि में से ऋण दे रही है । चालू वर्ष के लिये १० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसलिए ऋण बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है संभवतः माननीय सदस्य के मन में यह बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में, १९५३-५४ के लिये निर्धारित की गई राशि समाप्त हो गई थी और जब नये बजट के निर्धारण किये गये, तो हमसे अधिक निर्धारण करने की प्रार्थना की गई थी । हमने निर्धारण कर दिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब काम प्रारम्भ हो गया है ।

सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान करार

*२३२२. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की जो राशि पाकिस्तान में रह गई है उस को लौटाने के सम्बन्ध में १९५० में कोई समझौता हुआ था ?

(ख) विस्थापित सरकारी-कर्मचारी जो सामान्य भविष्य निधि पाकिस्तान छोड़ आए हैं उस की कुल राशि कितनी है तथा उस के लेखों की संख्या कितनी है ?

(ग) अब तक कितने तथा कितनी राशि के दावे मिले हैं और पाकिस्तान सरकार ने कितने दावों की तस्दीक की है ?

(घ) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान— दोनों देशों की सरकारों ने १९५३ में यह मान लिया था कि सभी विचाराधीन दावों की तस्दीक जून १९५४ तक पूरी कर ली जायगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में विस्थापित सरकारी कर्मचारियों ने ५०१९ दावे किये हैं और उन की कुल राशि ६१·८६ लाख रुपये है ।

(ग) पाकिस्तान को ५०१९ दावे भेजे गए थे । उन में से १६४२ दावों की तस्दीक करके, जिनकी कुल राशि १८·४५ लाख रुपये हैं, लौटाए गए हैं ।

(घ) दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक अक्तूबर, १९५३ में तस्दीक के काम को जल्दी समाप्त करने के साधनों पर विचार करने के लिए हुई थी। उन्होंने यह महसूस किया कि यह काम जून १९५४ तक समाप्त किया जा सकता है।

श्री गिडवानी : क्या हाल ही के समझौते के अनुसार डाकघरों में लेखों की तस्दीक तथा स्थानान्तरण के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मैं यह नहीं जानता कि इस प्रकार के काम के लिए कोई अधिकारी रखा गया है या नहीं।

श्री गिडवानी : सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि के दावों की तस्दीक के काम की प्रगति को देखते हुए यह आशा उचित है कि बाकी के दावों की तस्दीक जून, १९५४ तक पूरी हो सकती है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे इस में सन्देह है।

श्री गिडवानी : सरकार इस काम को शीघ्र समाप्त कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री ए० पी० जैन : हम तो दावे पाकिस्तान को भेज देते हैं। हम पाकिस्तान पर ज़ोर डालते हैं परन्तु यदि वह उनकी तस्दीक न करे तो हम उस पर और ज़ोर नहीं डाल सकते।

लंका में भारतीय

*२३२३. **श्री रघुरामय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका सरकार ने भारतीय उद्भव के लोगों के अस्थायी निवास परमिटों तथा शिनाख्त प्रमाण-पत्रों की अवधि न बढ़ान का हाल ही में जो फैसला किया है, उसके बारे में लंका सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो लंका सरकार से क्या उत्तर मिला है ?

वदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, भारत के कोलम्बो स्थित उच्च आयोग द्वारा मौखिक अभ्यावेदन किया गया था।

(ख) उच्च आयोग को बताया गया था कि अस्थायी निवास परमिटों और शिनाख्त प्रमाण पत्रों का जारी करना बिल्कुल बन्द नहीं किया गया है। इसे सिर्फ उस समय तक के लिये रोक दिया गया है, जब तक कि मंत्रिमंडल की उपसमिति की, जो भारत लंका समझौते को क्रियान्वित करने के तरीके निश्चित कर रही है, सिफारिशें प्राप्त न हो जायें।

श्री रघुरामय्या : भारत सरकार द्वारा नई नीति के अन्तर्गत दृष्टांक दिये जाने से पहले, लोगों पर क्या शर्तें लगाई जाती हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एम० डी० रामस्वामी क्या उन व्यापारियों के निवास के बारे में कोई विशेष समझौता हुआ है, जो बहुत लम्बे समय से लंका में अपना धंधा चला रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : व्यापारी वर्ग के बारे में कोई विशेष समझौता नहीं हुआ है।

श्री पुन्नूस : क्या लंका में रहने वाले भारतीयों के मन में यह भावना है कि

लंका सरकार और हमारे बीच हुई बातचीत से उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है? क्या प्रधान मंत्री इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एसी कुछ भावना है ज़रूर, जैसा कि उनकी कांग्रेस की एक बैठक में हाल में पास किये गये कुछ प्रस्तावों से विदित होता है ।

श्री रघुरामय्या : क्या हमारे प्रधान मंत्री को लंका के प्रधान मंत्री से इस विषय पर बातचीत करने का मौक़ा मिला था और क्या उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था और क्या लंका सरकार द्वारा अपनी नीति में परिवर्तन किये जाने की कोई संभावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे उच्च आयुक्त लंका सरकार से इस बारे में सम्पर्क में हैं । मेरी भी उन से इस विषय में मोटे तौर पर कुछ बातचीत हुई थी । प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने कोई नया कदम उठाया है बल्कि यह है कि उन्होंने वह बात नहीं की है जिसे हम सोचते हैं, कि वे कर सकते हैं । लंका सरकार एक समिति नियुक्त कर इस विषय पर विचार कर रही है ।

शास्त्रीय संगीत कलाकार

***२३२३-क. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो में शास्त्रीय संगीत कलाकारों की, जो रेडियो पर गा सकते हैं, एक सूची रहती है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से कलाकारों के नाम सूची में से निकाल दिये गये हैं; यदि हां, तो क्यों; तथा

(ग) क्या आल इंडिया रेडियो से अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाशाली कलाकारों के ब्राडकास्ट के बारे में कोई प्रयत्न किया जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : श्रीमान् क्या मैं आपकी अनुमति से उत्तर पढ़कर सुना सकता हूं ? यह ज़रा लम्बा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे आप जितना छोटा कर सकें, कर दें ।

डा० केसकर : (क) एक सूची रखी जाती है ताकि विभिन्न स्टेशन कलाकारों को दी जाने वाली राशि को निश्चित कर सकें परन्तु किसी कलाकार का नाम इस लम्बी सूची पर होने का यह अर्थ नहीं कि उसे ब्राडकास्ट करने का अवसर दिया ही जायगा ।

(ख) शास्त्रीय संगीत के प्रतिभाशाली कलाकारों में से अधिकतर के नाम आल इंडिया रेडियो की सूची में हैं । केवल एक या दो श्रेणियों के कलाकारों के नाम उसमें नहीं हैं ।

पहली में वे कलाकार हैं जो रेडियो पर गाने के लायक नहीं समझे गये । रेडियो श्रोताओं से कुछ कलाकारों के बारे में, जो या तो गाते अच्छा नहीं थे या जो अधकचरे थे, बहुत सी शिकायतें आई थीं । इन कलाकारों को अलग करने के लिये उनकी स्वर परीक्षा की गई थी और जो लोग निर्धारित स्तर से नीचे पाये गये उनमें से कुछ से कह दिया गया था कि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में लिख लिया गया है और जब वे अपना स्तर ऊंचा उठा लेंगे तो उन्हें गाने का अवसर दिया जायेगा ।

दूसरी श्रेणी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हों ने विरोधस्वरूप स्वयंमेव आकाशवाणी की सूची से त्यागपत्र दे दिया था। गत वर्ष बम्बई में कुछ लोगों ने कलाकारों की ध्वनि परीक्षा के विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ किया था और उस समय कुछ कलाकारों ने आकाशवाणी का बहिष्कार कर दिया था और उस से त्यागपत्र दे दिया था और उन में से कुछ ने उन के साथ किये गये ठेकों को पूरा करने से इन्कार कर दिया था। उन की ही मांग पर उन के नाम सूची से निकाल देने पड़े थे। कुछ समय पश्चात इन कलाकारों के प्रतिनिधि मुझ से मिले और चर्चा के पश्चात उन्होंने यह अनुभव किया कि जो कुछ किया जा रहा था वह उनके अपने ही हित में था और योग्य कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिये था। तब वह आन्दोलन वापस ले लिया गया और अब उनके तथा आकाशवाणी के बीच पूर्ण सहयोग है। जिन कलाकारों ने सूची से त्यागपत्र दे दिया था उन के नाम सूची में पुनः लिख लिये गये थे। अब वे पूर्ण सहयोग से काम कर रहे हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि यद्यपि सूची में उन का नाम पुनः लिख लिया गया था, किन्तु उन का तुरन्त कार्यक्रम नहीं रखा जा सका क्योंकि कार्यक्रम की अनुसूचियां दो-तीन मास पहले ही तैयार कर ली जाती हैं, किन्तु उन में से बहुतों को पहले ही कार्यक्रम दिया जा चुका है और दूसरों को भी निस्सन्देह यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र मिल जायेगा।

दो या तीन उच्च श्रेणी के कलाकारों की एक तीसरी श्रेणी भी है। वे यह चाहते हैं उन्हें उच्च श्रेणी के अन्य कलाकारों की अपेक्षा बहुत अधिक शुल्क दिया जाये। ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि उच्च श्रेणी के कलाकारों में इस प्रकार का अन्यायपूर्ण भेद-भाव करने से अनेकों विवाद उठ खड़े होंगे और हमें बड़े खेद के साथ उन के नाम निकाल देने पड़े।

(ग) अधिक से अधिक गुणवान् कलाकारों को प्राप्त करने का हर प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में, बहुत कम ऐसे हैं जिन के नाम इस सूची में नहीं हैं। इस के विपरीत, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रसारण करने के लिये प्रेरित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन के शुल्क के सम्बन्ध में ठेके पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तथा कुछ और शर्तें तय करनी होती हैं। ऐसा होता है कि कोई कलाकार दिये गये धन या शर्तों से सन्तुष्ट न हुआ हो और प्रसारण करने से इन्कार कर दे। परन्तु ऐसे मामले बहुत कम होते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में जिन उच्च श्रेणी के कलाकारों का उल्लेख किया है उन की विशेष मांग क्या है ?

डा० केसकर : उच्च श्रेणी के केवल तीन कलाकार हैं, दो उत्तरी भारत के और एक दक्षिणी भारत का। एक तो सुप्रसिद्ध कलाकार केसरी बाई हैं वे उतना शुल्क चाहती हैं जितना सामान्यतया उन्हें सम्मेलनों में मिलता है जो कि वस्तुतः उस से चौगुना-पचगुना है जितना कि हम उच्च श्रेणी के कलाकारों को देते हैं। दूसरे सुप्रसिद्ध कलाकार ओंकार नाथ ठाकुर हैं। वे यह चाहते हैं कि जितना उच्च श्रेणी के कलाकारों को मिलता है उन्हें उस से ५० रुपये अधिक दिये जाय। दक्षिण भारत के कलाकार श्री अरियकुडी रामानुज आय्यंगार हैं। वे यह चाहते हैं

कि उन्हें अन्य उच्च कलाकारों से केवल एक रुपया अधिक दिया जाये ।

किन्तु मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि हमारा इन कलाकारों से कोई झगड़ा नहीं है । हमारे उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं और वास्तव में, श्री रामानुज आय्यंगार सद्भावना के रूप में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में बिना किसी शुल्क के प्रसारण करने को तैयार हो गये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि सदन में यह वक्तव्य दिया गया था कि दिल्ली के एक संगीत महोत्सव का कार्यक्रम इसलिये नहीं प्रसारित किया गया क्योंकि कुछ कलाकार सूची से बाहर के थे और वह कार्यक्रम थोड़ा-बहुत रद्द ही कर दिया गया था ? मैं जान सकता हूं कि उन्हें उस वक्तव्य के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

डा० केसकर : हां, श्रीमान् सदन में दिये गये इस वक्तव्य का मुझे पता है । यह वक्तव्य गलत है । प्रसारण न करने के कारण जितना कि हम समझते हैं उस से कहीं साधारण है । शिक्षा मंत्रालय ने यहां होने वाले महोत्सव को विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिये हमारे से प्रार्थना की थी । परन्तु हमें वह प्रार्थना लगभग आठ दस दिन पहले प्राप्त हुई । हमारे पास जो पारेषक (ट्रांसमिटर) हैं उन में से केवल दो या तीन पर ही बड़े पैमाने में प्रसारण किया जा सकता है और हमें सायंकाल से ले कर सम्भवत: अगले दिन प्रात:काल तक प्रसारण करना होता है । हमारे इन पारेषकों से विदेश सेवा के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और हमारे विदेश सेवा के कार्यक्रम को इस प्रकार रखने के लिये जिस से इस कार्यक्रम के किये कुछ समय निकल सके हमें कम से कम चार-छै सप्ताह पूर्व सूचना मिलनी चाहिये । इसलिये हमें खेद है कि हम उसे उस प्रकार प्रसारित नहीं कर सके जैसे कि हम करना चाहते थे ।

श्री डी० सी० शर्मा : आकाशवाणी ने जो सूची तैयार की हुई है क्या उस में भारतीय संगीत की सभी शाखाओं को पर्याप्त तथा उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, जैसा कि मैं ने बताया सम्भवत: आधे दर्जन कलाकारों को छोड़ कर कोई भी ऐसा प्रसिद्ध कलाकार नहीं है जिस का नाम आकाशवाणी की शास्त्रीय संगीतज्ञों की सूची में न हो ।

श्री साधन गुप्त : क्या कुछ कलाकारों को, जिन्हें सभी बहुत उच्चकोटि का कलाकार मानते हैं, इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया या उन के कार्यक्रम बहुत सीमित रखे जाते हैं क्योंकि उन की किसी विशेष प्रकार की राजनीति से सहानुभूति है ?

डा० केसकर : जहां तक मैं जानता हूं शास्त्रीय संगीत के कलाकारों की कोई राजनीति नहीं है । मुझे भय है कि माननीय सदस्य कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध कलाकार का उल्लेख कर रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत का कलाकार नहीं है । यदि नियमित रूप से कोई प्रश्न पूछा जाये तो मैं उस का उत्तर देने को तैयार हूं ।

विस्थापित शिक्षा संस्थाएं

*२३२४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब की विस्थापित शिक्षा संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा

अब तक स्वीकृत किया गया कुल अनुदान ;

(ख) अब तक बांटी गई वास्तविक राशि; तथा

(ग) क्या प्राधिकारियों के नोटिस में कोई ऐसे प्रकरण भी आए हैं कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसी पुरानी संस्थाओं को भी अनुदान प्राप्त हुए हैं जोकि विभाजन के पहले से भारत में काम कर रही हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १९,६६,००० रुपया।

(ख) १९,६६,००० रुपया।

(ग) जी हां, कुछ ऐसी पुरानी संस्थाओं को भी सहायता अनुदान दिए गए हैं जो भारत में विभाजन से पूर्व से काम कर रही हैं और जिन के संसाधनों पर विस्थापित विद्यार्थियों के इतनी अधिक संख्या में आ जाने से अनुचित बोझ पड़ गया था। किन्तु किसी भी पुरानी संस्था ने यह कहकर अनुदान प्राप्त नहीं किया कि वह एक बिस्थापित संस्था है।

सरदार हुक्म सिंह : (क) अथवा (ग) के अन्तर्गत किसी एक संस्था को अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : एक लाख रुपया।

सरदार हुक्म सिंह : किसी एक संस्था को अधिकतम कुल अनुदान कितना दिया गया ?

श्री जे० के० भोंसले : विस्थापित अथवा अविस्थापित श्रेणी में ?

सरदार हुक्म सिंह : कोई भी हो।

श्री जे० के० भोंसले : चार लाख रुपया।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह अनुदान इस वर्ष भी दिए जाने का विचार है ?

श्री जे० के० भोंसले : हम ने इसे बन्द नहीं किया।

श्री गिडवानी : बहुत सी पुरानी संस्थाओं को भी अनुदान दिए गए हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी किस राज्य में पाए जाते हैं और उन संस्थाओं को क्या राशियां दी गई हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह एक लम्बी सूची है। सूची में बारह ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें इस प्रकार की राशियां दी गई हैं और अधिकतम राशि ११,३३,००० रुपये है।

सीमेन्ट के आवन्टन

*२३२५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५४ की पहली दो तिमाहियों के लिए विभिन्न राज्यों को सिमेन्ट का आवंटन कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार सदन पटल पर कोई इस प्रकार का विवरण रखेगी जिस में ऐसे आवंटन दिए हुए हों ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५०]

श्री एस० एन० दास : इस विवरण में दी गई जानकारी १९५४ की

पिछली दो तिमाहियों के बारे में है, किन्तु मेरे प्रश्न का निर्देश पहली दो तिमाहियों की ओर है। क्या इस विवरण में कुछ त्रुटि रह गई है या जान बूझ कर ही ऐसा विवरण दिया गया है ?

श्री करमरकर : स्पष्ट है कि इस में कुछ त्रुटि होगी। माननीय सदस्य ने १९५४ की पहली दो तिमाहियों के बारे में जानकारी माँगी थी किन्तु मैं ने १९५४ की पिछली दो तिमाहियों के बारे में जानकारी दी है। मेरे माननीय सहयोगी, श्री किदवई, मुझे यह सुझाव दे रहे हैं कि इस का निर्देश १९५४ की उन पहली दो तिमाहियों की ओर है जो बीत चुकी हैं, किन्तु मैं स्थिति के बारे में निश्चय से कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री एस० एन० दास : इन में दिखाए गए आवंटनों के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से किन प्रकरणों में गत दो तिमाहियों के आवंटनों की तुलना में प्रभाव पूर्ण भिन्नता है ?

श्री करमरकर : सामान्यतया यह एक ही प्रकार के होते हैं। हमारा सीमेन्ट का मासिक उत्पादन ३६०,००० टन है जबकि उपभोक्ताओं द्वारा ५५०,००० टन की मांग है। इन उपभोक्ताओं में बहुमुखी परियोजनाएं, मंत्रालय जैसे रक्षा, रेलवे तथा सी० पी० डब्ल्यू० डी० और राज्य सम्मिलित हैं। सारा प्रश्न यही है कि इन मांगों की पूर्ति के लिए कितना माल उपलब्ध है।

श्री एस० एन० दास : इन आवंटनों का आधार क्या है ? क्या विभिन्न राज्यों से यह मांग की गई थी कि वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में लिख, और यदि ऐसा है तो उन की मांगें क्या थीं और उन की पूर्ति कहां तक की गई ?

श्री करमरकर : यह मांगें राज्यों द्वारा की जाती हैं और हम सामान्यतः राज्यों की ५० प्रतिशत मांगों के आधार पर आवंटन कर देते हैं, मंत्रालयों की मांगों का ७० से ८० प्रतिशत मान लेते हैं और बहुमुखी परियोजनाओं के बारे में लगभग सम्पूर्ण मांगों को स्वीकार कर लेते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलायगे कि देश में जो दो हजार टन सीमेन्ट माहवार की कमी बताई गई है उस को पूरा करने के वास्ते गवर्नमेंट क्या उपाय करने को सोच रही है ?

श्री करमरकर : देश में नयी नयी फ़ैक्टरीज बन रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या मैं इस त्रुटि के बारे में स्पष्टीकरण दे सकता हूं ? यह केवल छापने की त्रुटि है। हम ने १९५४ की पिछली दो तिमाहियों के लिए आवंटन नहीं किया है और यह आवंटन वास्तव में पहली दो तिमाहियों के लिए है। मुझे इस त्रुटि के लिए बहुत खेद है, किन्तु यह केवल टाइप की त्रुटि है।

चम्बल परियोजना

*२३११. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बता की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और मध्य भारत की सरकारों ने चम्बल

परियोजना के बांधों और मुख्य नहरों के सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को, योजना आयोग के पास एक एकीकृत योजना भेजने के लिये, भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था पर है; तथा

(ग) इस परियोजना के अधीन जितना क्षेत्र है. क्या उसका विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है और नक्शे तैयार करा लिये गये है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रयोजन के लिये राजस्थान और मध्य भारत सरकार द्वारा कुछ प्राक्कलन और योजनाएं भेजी गई हैं।

(ख) राजस्थान और मध्य भारत के चीफ इंजीनियर एक संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और उसे उन्होंने मई, १९५४ के अन्त तक देने का वचन दिया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्। परियोजना के अधीन जितना क्षेत्र है, उसका विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है। उस क्षेत्र के अधिकांश भाग के नक्शे तैयार कर लिये गये हैं और शेष भागों के नक्शे बनाये जा रहे हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस से कितने लाभ की आशा की जाती है ?

श्री हाथी : अनुमानित लागत ५२ करोड़ रुपये रखी गई है। वित्तीय लाभों का हिसाब लगाया जा रहा है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या इस परियोजना को केन्द्र किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दे रहा है ?

श्री हाथी : परियोजना के पूरे प्राक्कलन तैयार हो जाने पर यह निर्भर है।

श्री सी० आर० चौधरी : चूंकि यह एक अंतर्राजीय परियोजना है, अतः क्या इसको क्रियान्वित करने के लिये कोई अभिकरण बनाया गया है ?

श्री हाथी : एक नियंत्रण बोर्ड बनाने का विचार है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या ५२ करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन प्रथम अवस्था के लिये हैं, जिसकी मूलतः ३३ करोड़ रुपये लागत थी, या ये सारी परियोजना के लिये है, जिसकी मूल लागत ४९ करोड़ रुपये थी ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि यह प्रथम अवस्था के लिये है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेप्सू में विस्थापित व्यक्ति

*२३०९. **श्री अजित सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११३ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि :

(क) पेप्सू में कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है; तथा

(ख) उस राज्य के विस्थापित व्यक्तियों के कितने दावे हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार ३·५६ लाख।

(ख) लगभग २१,०००

बैटरी सेपरेटर

*२३०८. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बैटरी सेपरेटर उद्योग को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस बात के लिये कि राज्य सरकारें उनकी नीति को क्रियान्वित करें, संघ सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या संघ सरकार को उपयुक्त कच्चे मालों की अनुपलब्धता के संबंध में बैटरी सेपरेटर निर्माताओं के पास से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस संबंध में सरकार की नीति उसके दिनांक २-८-१९५२ के, मोटर गाड़ियों की बैटरी उद्योग को रक्षण जारी रखने से संबंधित, संकल्प संख्या ५ (२) टी० बी०/५२, में घोषित की गई है, जिसमें सरकार ने सेपरेटरों के निर्माताओं को बैटरी सेपरेटरों के निर्माण के लिये अपेक्षित इमारती लकड़ी उपलब्ध करके सहायता करने की अपनी नीति घोषित की है ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से उन फर्मों को आवश्यक सुविधायें देने का अनुरोध किया गया था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । इस प्रकार की एक शिकायत एक निर्माता के पास से आई है ।

(घ) संबंधित राज्य सरकार के साथ इस मामले में बात चीत चल रही है ।

नूगू तथा भद्रा परियोजनाएं

४८८. **श्री एन० राचय्या :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मैसूर राज्य में नूगू तथा भद्रा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सन् १९५३ में आर्थिक सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल धन राशि उस काल में ही समाप्त हो गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को कुछ और सहायता देने का विचार है; तथा

(घ) ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). वर्ष १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार ने ७५ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी थी जिस में से ४० लाख रुपया भद्रा तथा ३५ लाख रुपया नूगू परियोजना के लिए था ।

१९५३-५४ में पूंजी व्यय इस प्रकार हुआ था :

भद्रा परियोजना ५६·९३ लाख रुपया

नूगू परियोजना ३९·२५ लाख रुपया

१९५३-५४ में ऋण की सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी गई थी ।

(ग) कमी वाले क्षेत्रों के लिए स्थायी सुधार कार्यक्रम के अधीन पिछले तीन वर्षों में भद्रा (प्रथम स्थिति) परियोजना के लिए ३ करोड़ तथा नूगू परि-

योजना के लिए ५० लाख रुपये ऋण सहायता के रूप में निश्चित किये गये थे। १९५३-५४ में इन परियोजनाओं को दी गई धन राशि को निहित करके योजना के पिछले दो वर्षों में इन परियोजनाओं के लिए निम्न धन उपलब्ध हो सकेगा :—

भद्रा परियोजना के लिए २·६० करोड़

नूगू परियोजना के लिए १५ लाख

(घ) भद्रा परियोजना (प्रथम स्थिति) तथा नूगू परियोजना जून १९५६ के अंत तक पूरी होगी।

जरनिया सामुदायिक परियोजना क्षेत्र

४८९. **श्री दशरथ देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि जिरनिया सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में नियंत्रण द्वार तथा मार्ग-परिवर्तन नहरों को सम्मिलित करके तीन बांध बनाने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इन योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ग) यदि इस प्रकार के बांध बनाये गये तो उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना मांगी है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन

४९०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में वाशिंगटन स्थित भारतीय संभरण मिशन ने कितने अथवा कितनी धन राशि का सौदा किया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

वर्ष	किये गये सौदों की संख्या	किये गये सौदों की धन राशी
१९५१-५२	१५४०	१६४ करोड़ रुपया
१९५२-५३	१३७६	५४ ,, ,,

भारत-पाकिस्तान सीमाएं

४९१. **श्री कथम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम राज्य, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बीच जहां जहां भारतीय क्षेत्र और पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र मिलते हैं वहां नदी के साथ साथ जाने वाली सीमाएं कितने मील लम्बी हैं ;

(ख) उक्त राज्यों और पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं नदियों के पाकिस्तानी तटों के साथ साथ जाती हैं, जिन में नवीनतम करार के अनुसार नदी का पाट भारत की ओर छोड़ दिया गया है, उन की लम्बाई, यदि ये सीमाएं हों, तो कितनी हैं और उन सीमाओं की लम्बाई कितनी है जो भारतीय तटों के साथ साथ जाती हैं किन्तु जहां नदी का पाट पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया गया है ; और

(ग) बग्गे पंचाट के बाद से इन सीमाओं पर आज तक कितनी बार झगड़ा हुआ है और आज तक कितने झगड़ निपटाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) आसाम राज्य, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बीच जहां जहां

भारतीय क्षेत्र और पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र मिलते हैं, वहां नदी के साथ जाने वाली सीमाओं की लम्बाई, नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार सरसरी तौर पर इस प्रकार है :—

आसाम-पूर्वी बंगाल	३० मील
पश्चिमी बंगाल–पूर्वी बंगाल	६४ मील
त्रिपुरा–पूर्वी बंगाल	१८६ मील
कुल योग	२८० मील

(ख) उक्त भारतीय राज्यों और पूर्वी पाकिस्तान के बीच नदियों के पाकिस्तानी तटों और भारतीय तटों के साथ साथ जाने वाली सीमाओं की लम्बाई, नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार लगभग इस प्रकार है :—

	पाकिस्तानी तटों के साथ जाने वाली सीमाएं	भारतीय तटों के साथ जाने वाली सीमाएं
आसाम-पूर्वी बंगाल	१५ मील	६ मील
त्रिपुरा-पूर्वी बंगाल	२ मील	३२ मील

पश्चिमी बंगाल–पूर्वी बंगाल सीमा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । पश्चिमी बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर वह सदन पटल पर रखी जाएगी ।

(ग) बग्गे पंचाट के बाद पाकिस्तान सरकार ने उस सीमा पर झगड़ा उठाया है जो आसाम–पूर्वी बंगाल सीमा पर सूरमा नदी के पाकिस्तानी तट के साथ साथ जाती है ।

सितम्बर–अक्तूबर, १९५३ में कलकत्ता में आयोजित भारत–पाकिस्तान पूर्वी महाखण्ड सम्मेलन में इस झगड़े पर बहस हुई थी । इस में कोई भी समझौता नहीं हो सका और अभी भी इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच लिखा-पढ़ी हो रही है ।

ट्रैक्टरों के लिए सामान का आयात

४९२. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारी ट्रैक्टरों, बुलडोजरों और भूमि खोद कर उठाने की मशीनों के कई पुर्जों और अन्य सामान जैसे कि (१) कैटरपिलर बाल बियरिंग्ज ५ एफ० २७१५, ८ बी० ४४५५, ८ बी० ४४५४, (२) सील्ज, (३) बोल्ट और नट [काबले और त्रुफ्ते], और (४) ऊपर के पेच, आदि के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) क्या उक्त सारभूत सामान प्रयाप्त मात्रा में और वांछित किस्म का भारत में तैयार किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जनवरी-जून, १९५४ के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के परिशिष्ट 'सी' में उल्लिखित लम्बाई चौड़ाई के बाल बियरिंगों को छोड़ कर भारत में इस सामान का कोई संगठित उत्पादन नहीं हो रहा है ।

हिन्द-चीनी में भारतीय

४९३. **श्री संगण्णा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दी-चीनी युद्ध के शुरू होने के तुरन्त पूर्व और उसके बाद हिन्द चीनी में कितने भारतीय थे ;

(ख) इस समय उनकी आस्तियों का अनुमानित मूल्य क्या है ; तथा

(ग) अपनी आस्तियों के सम्बन्ध में उन्हें क्या रियायतें और सुविधाएं प्राप्त हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९-१२-४६ को हिन्द-चीनी का युद्ध शुरू होने के तुरन्त पूर्व भारतीय जनसंख्या अनुमानतः लगभग एक हजार थी। वर्तमान जनसंख्या अनुमानतः लगभग २५०० है ।

(ख) लगभग ५००० लाख रुपये पियास्ट्रे का मूल्य निश्चित न होने के कारण, यह अनुमान बहुत मोटे रूप में है ।

(ग) भारत में आश्रितों के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, यात्रा व्यय आदि के लिए छोटी छोटी राशियां भेजने की सुविधाओं के अतिरिक्त, भारतीयों को निम्न सुविधाएं प्राप्त है ।

(१) गैर-निवासी भारतीयों को अपने सारे लाभ स्थानांतरित करने दिये जाते हैं ।

(२) निवासी भारतीय भारत में आने पर ५० प्रतिशत तक लाभ भेज सकते हैं ।

(३) हिन्द-चीनी को सदा के लिए छोड़ने पर भारतीय ३० लाख फ्रांसीसी फ्रांस या लगभग ४०,८१६ रुपये स्थानांतरित कर सकते हैं ।

पाकिस्तान को कोयले का संभरण

४९४. **श्री गिडवानी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी १९५४ से ३१ मार्च १९५४ तक पाकिस्तान को कितना कोयला और कोक भेजा गया था ;

(ख) क्या इस का मूल्य नकदी में प्राप्त हुआ था या किसी अन्य रूप में ; और

(ग) प्रति टन कितना मूल्य लिया गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जनवरी से मार्च १९५४ तक पाकिस्तान को भेजे गये कोयले/कोक की मात्रा निम्न है—

जनवरी	१९५४	५२,३१२ टन
फरवरी	१९५४	६०,८८८ टन
मार्च	१९५४	७१,८३१ टन

(ग) मूल्य नकदी में प्राप्त हुआ था ।

(ख) कोक या कोयले का वही मूल्य लिया गया था जो नियंत्रित मूल्य कोयला खान के मुंह पर होता है ।

प्रकाशन विभाग (पब्लिकेशन्स डिवीजन)

४९५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रकाशन विभाग कौन कौन सी दैनिक, मासिक या त्रैमासिक पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं आदि प्रकाशित करता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उन की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ग) इनके प्रकाशन का क्या खर्च है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्रकाशन विभाग निम्न पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है :—

नाम	काल क्रम
१ दी मार्च आफ़ इन्डिया (अंग्रेजी)	द्विमासिक
२ काश्मीर	,, मासिक
३ कुरूक्षेत्र	,, मासिक

४	आजकल	(हिन्दी)	मासिक
५	बाल भारती	(हिन्दी)	मासिक
६	आजकल	(उर्दू)	मासिक
७	ए० आई० आर० सिलैकशन्स	(अंग्रेजी)	कोई निश्चित कालक्रम नहीं परन्तु हर तिमाही को प्रकाशित होता है ।
८	प्रसारिका	(हिन्दी)	,, ,,
९	सोशल वैलफेयर	(अंग्रेजी)	मासिक(केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की ओर से प्रकाशित)

पुस्तिकाओं तथा पुस्तकों के लिए कोई निश्चित सामयिकता नहीं है । उन्हें तदर्थ आधार पर प्रकाशित किया जाता है ।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तकाओं और पुस्तकों के विक्रय से निम्न राशियां प्राप्त हुई :

	रुपये
१९५१-५२	२,९८,८७०
१९५२-५३	२,४५,८४६
१९५३-५४	४,५१,४०० (अस्थायी)

(ग) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और पुस्तकों का उत्पादन व्यय निम्न है :—

	रुपये
१९५१-५२	५,७८,५०६
१९५२-५३	४,२१,६४७
१९५३-५४	अभी उपलब्ध नहीं।

पटसन की वस्तुओं की उत्पादन लागत

४९६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन की बनी हुई वस्तुओं की उत्पादन लागत का पता चलाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार की तैयार वस्तु की कुल लागत में शुभ कच्चे माल व अवक्षयण सम्बन्धी व्यय की तथा लाभ की अलग अलग प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). जी हां, पटसन जांच समिति ने इसकी जांच की है और उसके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है । प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रख दी गई है ।

औद्योगिक मकान योजना

४९७. **डा० सत्यवादी :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मकान योजना चालू होने के समय से पंजाब को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और किन शर्तों पर;

(ख) इस योजना के अधीन कितने मकान बनाए गए और कहां कहां;

(ग) इन मकानों के निर्माण पर कितना खर्च हुआ;

(घ) १९५४-५५ के लिये जो सहायता दी गई है उस से कितने मकान बनाए जायेंगे; और

(ङ) क्या इस योजना के लिये रख गये धन में से मजदूरों की सहकारी समितियों को भी कोई सहायता दी जाती है; यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कारखानों के मजदूरों के लिय सहायता प्राप्त मकान योजना के अधीन पंजाब सरकार को दी

जाने के लिये जो ४ लाख ८२ हज़ार रुपये की राशि सहायता के रूप में तथा इतनी ही राशि ऋण के रूप में मंजूर की गई थी, उनमें से पंजाब सरकार को अब तक क्रमशः २ लाख २ हज़ार रुपये सहायता के रूप में तथा ३ लाख २६ हज़ार रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं। शर्तें 'कारखानों के मज़दूरों के लिये भारत सरकार की सहायता प्राप्त मकान योजना' नामक पुस्तिका में दी गई हैं। इस पुस्तिका की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत २०० मकान अमृतसर में बन चुके हैं। १२४ मकान लुधियाना में बन रहे हैं और ५८ मकानों का निर्माण बटाला में शुरू होने वाला है।

(ग) उनके निर्माण पर ५ लाख ३५ हज़ार रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) १९५४-५५ में अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है। हां, ३०० मकान (जमनानगर, जालंधर तथा अमृतसर में सौ सौ) बनाने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी हां; मज़दूरों की सहकारी समितियों को सहायता जिन शर्तों पर दी जाती है वे 'कारखानों के मज़दूरों के लिये सहायता प्राप्त मकान योजना' नामक पुस्तिका में विशेष रूप से उसकी कंडिका ४ तथा ५ में दी हुई है। सदन पटल पर उस करार के प्रारूप की प्रतिलिपि भी रखी जाती है जो इन समितियों को राज्य सरकारों से करना पड़ता है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-१६८/५४]

Chamber Fumigated 18/x/73

शुक्रवार,
७ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद-विवाद

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
Dt. 11/11/83
Parliament Library

लोक-सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

अंक ५, १९५४

(५ मई से २१ मई, १९५४)

षष्ठ सत्र

१९५४

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

संसदीय वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९–०५ म० पू०

श्री बी० एल० तुडू का देहावसान

अध्यक्ष महोदय : सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खेद होता है कि संसद सदस्य श्री भरत लाल तुडू स्वर्गवासी हो गये हैं। मुझे विश्वास है कि सदन उन के परिवार को संवेदना भेजने में मेरे साथ है। सदन एक मिनट शान्त खड़ा होगा।

श्री तुडू की अंत्येष्टि-क्रिया १२½ बजे प्रारम्भ होगी। सदन की बैठक आज ११ बजे समाप्त हो जायेगी जिस से कि जो सदस्य उन की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित होना चाहें हो सकें।

राज्य परिषद् से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य परिषद के सचिव से यह संदेश मिला है कि परिषद् द्वारा २८ अप्रैल, १९५४ को संशोधित रूप में पारित बाल विधेयक, १९५४ की एक प्रति भेजी जा रही है।

बाल विधेयक

सचिव : मैं राज्य परिषद् द्वारा २८ अप्रैल, १९५४ को संशोधित रूप में पारित बाल विधेयक को सदन पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान

श्री अनिरुद्ध सिंह (दरभंगा पूर्व) : नियम २१५ के अन्तर्गत, मैं माननीय उत्पादन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और इस पर उन से एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं।

(१) माननीय उत्पादन मंत्री ने उस दिन सदन में अनुदानों का मांगों का उत्तर देते हुए बतलाया कि इस्पात के नये कारखाने की स्थापना के स्थान के सम्बन्ध में जर्मन विशेषज्ञों का ज्ञापन चारों दावेदारों अर्थात्, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा की सरकारों को उन के मत के लिये भेज दिया है।

(२) बिहार सरकार ने अपना मत नहीं भेजा और इसलिये अंतिम रूप से स्थान-चुनाव के लिये बुलाए गए सम्मेलन में बिहार सरकार के प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया।

(३) दूसरी ओर बिहार के उद्योग मंत्री ने संघ के उत्पादन मंत्री के वक्तव्य का खंडन करते ए १४-४-५४ को बिहार विधान

विषय पर ध्यान दिलाना

[श्री अनिरुद्ध सिंह]

मंडल में कहा कि भारत सरकार ने जर्मन विशेषज्ञों के ज्ञापन पर बिहार सरकार का मत आमंत्रित नहीं किया था और न ही पहले के किन्हीं प्रक्रम पर इस बारे में राज्य सरकार को किसी चर्चा में, आमंत्रित किया गया था ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): सदन को याद होगा कि उन्त्पादन मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा होते समय मैं ने वे परिस्थितियां बतलाई थीं जिन के अन्तर्गत कि बिहार सरकार को रूरकेला में इस्पात के कारखाने की स्थापना का निर्णय करने वाली चर्चा में आमंत्रित नहीं किया गया था । बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा वहां के विधान-मंडल में दिये गये एक वक्तव्य की ओर जो अखबारों में छपा है, मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है । इसलिये मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा ।

वक्तव्य के दौरान में बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि मैं ने संदन में जो कुछ कहा उस से यह ख्याल पैदा होना अनिवार्य है कि बिहार सरकार की असावधानी के कारण बिहार के अनुकूल निर्णय नहीं हुआ ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि बिहार ने अपना दावा कई अवसरों पर बड़े जोरशोर से रक्खा था और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का ख्याल क्योंकर पैदा होना चाहिये ।

मेसर्स क्रुप एण्ड डिमाग से भारत सरकार को यह सिफारिश करने के लिये कहा गया था कि इस्पात के कारखानों की स्थापना के लिये सब से उपयुक्त स्थान कौन सा होगा । वैज्ञानिक आंकड़ों तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अध्ययन के पश्चात् तथा बिहार के सिन्दरी सहित अनेक स्थानों को देखने के पश्चात् उक्त फर्म ने भारत सरकार को एक ज्ञापन पेश किया जिस में उड़ीसा राज्य के रूरकेला स्थान की सिफारिश की गई थी । उत्पादन मंत्रालय ने इस ज्ञापन की प्रतियां उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार सरकारों को भेज दीं ।

किसी भी राज्य सरकार से विशिष्ट रूप से कोई टिप्पणियां अथवा राय नहीं मांगी गयी थीं । किन्तु पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश सरकार ने उन आंकड़ों की वास्तविकता के सम्बन्ध में मतभेद प्रगट करते हुए स्मृति-पत्र भेजे जिन के आधार पर कि जर्मन विशेषज्ञों ने रूरकेला को चुना था । इस बात की दृष्टि में यह आवश्यक समझा गया कि इन राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई बातों पर मंत्रिमण्डलीय स्तर पर विचार किया जाय । यह विचार-विमर्श १४ फरवरी को हुआ जिस में कि जर्मन विशेषज्ञों द्वारा चुने गये स्थान रूरकेला में ही इस्पात के कारखाने को स्थापित करने का निर्णय किया गया ।

अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने अपने दावों पर काफी जोर दिया था और अन्तिम नर्णय लेने से पूर्व बिहार सहित सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों के स्मृत्ति-पत्रों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हाल में हुई बातचीत के सम्बन्ध में मैं विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-१५६-५४]

अध्यक्ष महोदय : पुनर्वास मंत्री द्वारा सदन टिल पर रखे गये विवरण की प्रतियां प्रकाशन कांउंटर से उपलब्ध हैं । विवरण को पढ़ने के बाद माननीय सदस्य अग्रेतर जानकारी

अथवा स्पष्टीकरण के लिये अल्प-सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न तत्काल अथवा कल तक भेजे जा सकते हैं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू के इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये।

श्री एस० वी० रामास्वामी के प्रस्ताव तथा परिचालन के लिये संशोधनों पर भी अग्रेतर विचार होना है ।

जहां तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, वाद-विवाद १०—४५ पर समाप्त हो जायेगा और माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के प्रसंग में मैं स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्स में जो हमारे गृह मंत्री महोदय ने यह कहा कि जनता को न्यायालय को अपना न्यायालय समझना चाहिये, उस के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । जब तक हम लोग इस सारी पद्धति में ऐसा परिवर्तन नहीं कर देते कि जनता उस को अपना घर न समझे, तब तक जनता उस को अपना घर नहीं समझ सकती। इस के लिये यह परम आवश्यक है, जैसा कि मैं ने पहले कहा था कि, भ्रष्टाचार को रोका जाय । मेजिस्ट्रेट की आंखों के नीचे पेशकार प्रजा से धन लेता रहता है यह बात किसी से छिपी नहीं है । लोअर कोर्ट्स में चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री ने कार्य न किया हो लेकिन यह बात जनता के लिये प्रत्यक्ष है। मैं इस सम्बन्ध में और विशेष ध्यान न देते हुए, जैसा मैं ने कल निवेदन किया, फिर यह निवेदन करूंगा कि इस में संशोधन करने के लिये आप को इस सारी पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा केवल क्रिमिनल प्रोसीडयोर कोड के संशोधन मात्र से कार्य न चलेगा । एक बात ।

अब सिलेक्ट कमेटी के सामने यह विषय आने वाला है। इस लिये दो चार शब्द अपने सुझाव के रूप से निवेदन कर देता हूं । आप प्रारम्भ में उद्देश्य और तर्क के वक्तव्य में कहते हैं कि इस बिल का दो प्रकार का उद्देश्य है। एक तो यह कि अभियुक्त को अपनी सुरक्षा के लिए पूरा पूरा अवसर दिया जाय और दूसरा यह कि इन अभियोगों में होने वाले विलम्ब को रोक लिया जाय। इस के लिये आप ने प्रयत्न किया है और अपनी दंड प्रयोग पद्धति के अनुसार तीन प्रकार के विभागों में अभियोगों को विभक्त किया है, समरी ट्राइल, वारंट ट्राइल और सैशन ट्राइल । समरी ट्राइल्स का हम को अनुभव है और हम देखते हैं कि अभियुक्त को अपनी सफाई का पूरा अवसर नहीं मिलता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब कोई मेजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त पर समरी ट्राइल में फाइन कर देता है और वह अभियुक्त कहता है कि साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, तो हम ने मेजिस्ट्रेट को यह कहते सुना है कि "मैं समझता हूं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन फिर तुम पूरे केस को लड़ो" अगर एक टैक्सी ड्राइवर पूरा केस लड़ता है तो उस को काफी समय लगता है और उस को मोटर ड्राइवर के लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ता है। इस के बदले में अगर वह ५० रुपया फाइन का दे देता है तो उस को छुट्टी हो जाती है। वह समझता है कि यह सरकार का काम है। और कुछ कहने से ठीक नहीं होगा और वह रुपया दे देता है। तो मेरा निवेदन है कि समरी ट्राइलस में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। वारंट केसेज में और सेशन्स केसेज में विशेषकर आप ने कमिटल

[श्री नन्द लाल शर्मा]

प्रोसीडिंग्स को उड़ा देने का निश्चय किया। कुछ अंश में आप के उद्देश्य बड़े पवित्र हैं और बड़ी अच्छी भावना से प्रेरित हैं कि केस बहुत लम्बा न हो। माननीय श्री दातार ने कल यह शब्द कहा कि विरोधी पक्ष के लोग अभियुक्त के हितों का तो ध्यान रखते हैं पर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखते। मैं उन से जूरिसप्रूडेंस के उस मौलिक सिद्धान्त के नाम पर अपील करता हूं कि अभियुक्त होने का अर्थ निश्चित रूप से अपराधी होना नहीं है। किसी को एक्यूज्ड मात्र कह देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उस ने कत्ल कर डाला है। आप ने स्वयं अपने उद्देश्य और तर्क के विधान में यह लिखा है कि कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता क्यों थी। इस लिये कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध केस को जानने का और उस के विरुद्ध कौन कौन साक्षी आ रहे हैं यह जानने का पूरा अवसर मिले। इस व्यवस्था को चाहे आप और केसज में से हटा लें लेकिन कत्ल के केसेज में से इस को हटाना अनुचित होगा। मैं इस से भी आगे बढ़ंगा। आप के मैडीकल जूरिसप्रूडेंस और साइकालाजीकल जूरिसप्रूडेंस के अनुसार यह सिद्धांत तय हो चुका है कि जब कोई अपराध करता है तो विशेष मानसिक स्थिति के कारण करता है। आप देखते हैं कि किसी अपराध को करने के लिये एक व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। मेडीकल जूरिसप्रूडेंस के अनुसार तो एक व्यक्ति एक प्रकार के रोग, मैनिया, के कारण प्रेरित हो कर एक अपराध कर बैठता है और साइकिल जरिसप्रूडेंस के अनुसार जब एक व्यक्ति कार्य करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मनोविज्ञानिक धारायें आकर कार्य करती हैं। अगर हम सब की मानसिक भावनाओं को जान सकते तो हम उस समय कितने ही और व्यक्तियों को दंड दे पाते। परन्तु उस के बदले में एक ही व्यक्ति को पकड़ते हैं। इस पर भी जो बुद्धिमान जूरिस्ट हैं उन्हों ने न्याय का यह मौलिक सिद्धान्त बनाया है कि सन्देह का लाभ अवश्य ही अभियुक्त को देना चाहिये। अब आप सन्देह का लाभ अभियुक्त को न दे कर यह निश्चय कर रहे हैं कि एक्यूज्ड ने निश्चित रूप से ही यह कार्य कर डाला है। इस कमिटमेंट प्रोसीडिंग के उड़ जाने से उस की कितनी बड़ी दुर्दशा होगी। जैसा कि आप ने कल कहा था अगर अदंडय को फांसी पर लटका दिया जाता है तो उस का जीवन लौटने वाला नहीं है। उस का दोष शासन पर जो पड़ेगा उस से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिये कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स को कम से कम मर्डर ट्रायल में तो न हटाया जाय। मैं आगे इस विषय में और विस्तार से नहीं जाऊंगा। यह जो उद्देश्य आप ने स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्स में रखे हैं कि अभियुक्त को अपने पक्ष के सिद्ध करने का और अपने ऊपर आने वाले अभियोग का निराकरण करने का पूरा अवसर मिले यह आप के इस वर्तमान बिल से सिद्ध नहीं हो रहा है। और जो आप ने कहा है कि कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो और विलम्ब को रोक लिया जाय, इस के लिये हमारे माननीय श्री राघवाचार्य ने कल कहा था कि इस का फल यह होगा कि बहुत से अपराधी इस कारण छूट जायेंगे। हां कुछ केसेज ऐसे अवश्य होते हैं जिन में पुलिस के कारण या मेजिस्ट्रेट की काम न करने की इच्छा के कारण विलम्ब होता है।

डा० पी० एस० देशमुख : ढिलाई हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा : हम यह प्रत्यक्ष देख चुके हैं, स्वर्गीय डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी के केस में, मेरे और श्री चटर्जी के केस में : जो कागज पुलिस इंसपेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने रख देते हैं वह उस पर दस्तखत

कर देते हैं। एक्यूज्ड हाजिर है मगर उसे पता भी नहीं। अन्ततोगत्वा मेजिस्ट्रेट, जब सुप्रीम कोर्ट में साक्षी देने का समय आता है, तो बगलें झांकते हैं। इंसपेक्टर पुलिस को डिसेंटरी हो जाती है और वह नहीं जा सकते। इस वजह से केस सिद्ध नहीं हो सका। मैं एक निवेदन और करूंगा और वह है कई अपराधों को कम्पाउन्डेबुल बनाने के सम्बन्ध में यहां पर विचार किया जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि दंड विधान में जिन का चरित्र के साथ सम्बन्ध है और जिस के ऊपर सारे समाज की आधार भित्ति निर्भर है उस में कम्पाउन्डेबुल समझौता करने का उपाय देना आचार भित्ति को तोड़ने का मार्ग होगा। मैं ने ४६७, ६८ में, अथवा चोरी में ३७६ में अथवा ऐसे और केसेज में कई जगह तो रेप के लिये भी कहा गया और यदि वह आपस में समझौता कर लें तो रेप का भी परित्याग कर देना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में राजा का, शासक का कर्तव्य है कि आचार से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी दोष आयें, अपराध आवें उन को कभी भी कम्पाउन्ड न कर सकें।

एक शब्द डिफेमेशन के सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूं यदि कोई समाचार पत्र अथवा और कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अथवा ऊंचे कर्मचारी वी०आई०पी० के विरुद्ध कोई भावना प्रकाशित करता है तो पुलिस अवश्य ही उस व्यक्ति के अथवा न्यूज़पेपर के गले पर चढ़ जायेगी और इसलिये मेरी राय में उस को कागनेजेबुल आफेन्स बनाना अनुचित है।

अन्त में मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हुआ कहूंगा कि आज ऐग्ज़ीक्यूटिव का जुडीशरी पर जो निरन्तर प्रभाव है उस को आप तभी हटा सकते हैं जब एक तो आप जुडीशरी को सर्वथा स्वतन्त्र बना दें। कल आप ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली सरीखे पार्ट सी० राज्यों में अभी ऐसा नहीं हो पाया, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट का प्रभुत्व अभी पूर्णतः विद्यमान है। मैं आप से और आगे निवेदन करूं कि उन का क्या प्रभाव पड़ता है परन्तु समय मेरे पास नहीं है। एक समाचारपत्र है, एक डिप्टी कलक्टर ने ३२४ में उस को दंड दिया, आज की डेट के हिन्दुस्तान टाइम्स में ज़िक्र है; जिस को तीन वर्ष का दंड होना चाहिये था, उसे केवल ५१ रुपये फाइन कर के छोड़ दिया गया है। मैं पूछता हूं कि यह प्रभाव एग्जीक्यूटिव का नहीं है तो और क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के घर में जा कर छिपता है, चाकू से दूसरे पर प्रहार करता है, इसलिये मैं भगवान कैलाश नाथ जो इस घर के पुरखे हैं जो भंडारी कहलाते हैं उन का वाहन है वृद्ध बैल, अगर वह खुद विष खा कर प्रजा को अमृत पिलायें तब तो मैं समझता हूं कि प्रजा का कल्याण होगा और यदि साधारणतः एक पार्टी की भावना से कार्य किया गया तो क्या आनरेरी मजिस्ट्रेट और क्या दूसरे तीसरे वह हमारा कल्याण नहीं कर सकेंगे। इस लिये मैं तो इस भावना का हूं, हम अपमान नहीं करते, हम तो एक पत्थर की मूर्ति को भी ईश्वर बनाते हैं और प्रणाम करते हैं, हम ने उनको अपना गृह मंत्री बनाया है और हम तो उन को साक्षात भूतनाथ मानते हैं, वह स्वयं विष खाने को तैयार हों और प्रजा को अमृत पिलायें।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : डा० काटजू ने जो कुछ कहा उस से हम प्रभावित हैं। हम इस देश में न्यायिक प्रशासन में सुधार चाहते हैं, हम झूठ साक्ष्य का अन्त चाहते हैं, हम चाहते हैं कि न्याय शीघ्रता के साथ किया जाय। किन्तु यदि कल का माननीय उपगृह मंत्री का भाषण माननीय गृह मंत्री के मस्तिष्क का द्योतक है, तो मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन विधेयक की कुछ धाराओं का घोर विरोध करता हूं।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

मैं सब धाराओं का विरोध नहीं करता चूंकि कुछ धारायें वास्तव में बहुत अच्छी हैं, किन्तु कुछ धारायें ऐसी हैं जिन का प्रभाव उन आधारभूत सिद्धान्तों पर पड़ता है जिन पर कि देश के दंड प्रशासन का सारा ढांचा आधारित है मुझे डर है कि ढांचा नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा ।

खंड १७ को लीजिये । इस खंड में उपबन्धित परन्तुक संविधान के अनुच्छेद ३१ की अवहेलना करता है । अनुच्छेद ३१ के अनुसार :

"(१) कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया

इस खंड में उपबन्धित परन्तुक के अनुसार कोई मेजिस्ट्रेट बिना किसी जांच के भी सम्पत्ति कुर्क कर सकता है । मान लीजिये कि मेरा पड़ौसी कोई बदमाश व्यक्ति है तो वह मेरे लिये परेशानी का बाइस हो सकता है । वह पुलिस को रिपोर्ट करने के लिये फुसला सकता है तथा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मेजिस्ट्रेट बिना कोई जांच किये मेरी सम्पत्ति धारा १४५ के इस खंड का आश्रय ले कर कुर्क कर सकता है । यह अत्यन्त अनिष्टकर चीज है । इस से समाज के खराब लोगों के हाथ में ताकत आजायेगी और कानूनदां नागरिक अपने सम्पत्ति के सम्बन्ध में आश्वस्त नहीं हो सकेंगे । अत्यन्त खतरनाक उपबन्ध है । इसे हटा दिया जाना चाहिये ।

जब मैं उन उपबन्धों पर आता हूं जिन पर कि बहुत जोर दिया गया है, नामतः १८९८ के ५ वें अधिनियम की धारायें १६१, १६२, १६३, १६४ और १७३ इनमें उन लोगों के कष्ट और परेशानियों को नहीं समझा गया है जो कि न्यायालय में मुकद्दमा व्यवहृत करते हैं । यह अत्यन्त जटिल मामला है । यह पुलिस तथा अभियोक्ता के मध्य प्रति मिनट और घंटे का संघर्ष है । यह महज़ अभियुक्त को रिहाई में सहायता दिलाने का प्रश्न नहीं है किन्तु यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का प्रश्न है । यह मान लेना बहुत गलत चीज़ है कि न्यायालय के कठघरे में पेश किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है । कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि उस का अपराध साबित न हो जाये । इस लिये यह उपबन्ध अच्छे नहीं हैं । ये व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करते हैं ।

फिर धारा १६२ को निरसित कर दिया गया है और इस के कुछ उपबन्धों को धारा १६१ के उपबन्धों के साथ मिला दिया गया है । लेकिन धारा १६२ के निरसन के पश्चात् अभियुक्त को आवश्यक सामग्री देना कैसे सम्भव होगा । धारा १६२ के उपखंड (२) के अन्तर्गत बहुत अच्छा उपबन्ध है जो अब हटाया जा रहा है ।

यदि आप इस उप-खण्ड (२) को हटाते हैं तो आप की कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १४५ के अनुकूल नहीं होती है । इस प्रकार, श्रीमान्, सिपाही को जो प्रकथन दिये जाते हैं, वे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं । इस में सन्देह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा १५७ विद्यमान है, तथा भय यह है कि १६१ प्रकथन धारा १५७ के अन्तर्गत पुष्टिकर्त्ता-साक्ष्य के रूप में प्रयोग होगी । जब तक कि आप परन्तुक के रूप में कोई परिसीमन न करें तब तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये बहुत बड़ा भय है । फिर, धारा १५७ के साथ आप को धारा १६४ भी अवश्य देखनी चाहिये । यह उन के लिये, जो जांच न्यायालय में बचाव कर रहे हैं, इन १६४ प्रकथनों से छुटकारा पाना सदैव ही कठिन रहा है । अभियुक्त

दण्डाधीश के समक्ष जाता है तथा धारा १६४ के अन्तर्गत प्रकथन देता है। वे सारी अहतियात जो ली जानी चाहिये, ली गई के रूप में रिकार्ड की जाती हैं तथा प्रकथन की एक पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है। वास्तव में, हम वकालत करने वाले दण्डाधीशों को जानते हैं और अहतियात नहीं लेते।

श्रीमान्, यह धारा १६४ एक अभिशाप है। इस का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिये। मान लीजिये कि आठ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जो साक्ष्य-प्रकोष्ठ में रखे जाते हैं, तथा उन की जांच धारा १६४ के अन्तर्गत होती है तो आप उन्हें उन के प्रकथनों से बांध देते हैं। इस से कोई छुटकारा कैसे पा सकता है ? धारा १६४ के अन्तर्गत लिखे गये इन प्रकथनों के होते हुए हम निरपराध अभियुक्त को कैसे बचायेंगे ? क्योंकि साक्ष्य संयुक्त होती है, तथा दंडाधीश तीन या चार से अधिक अभियुक्तों को, जिन में एक व्यक्ति प्रायः निरपराधी होता है, छोड़ देता है। इस का कारण यह है कि यदि वह निरपराधी को दण्ड नहीं देता तो उसे संयुक्त साक्ष्य होने से अपराधियों को भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि साक्ष्य संयुक्त है। यदि अपराधियों को दण्ड देता है तो निरपराध को भी दण्ड देना पड़ता है, और इस का कारण भी वही है। धारा १६४ का भरसक प्रयोग करने से देश में अपराधियों की जांच का अन्त हो जायेगा।

अब मैं धारा १७३ पर आता हूं। वह सूचना तथा प्रलेख, जो अभियुक्त को दिये जाते हैं, पूर्ण नहीं है। क्या मुझे इतनी शीघ्र अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहिये ? मेरा निवेदन है कि मुझे १० बजे तक बोलने दिया जाये।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : माननीय सदस्य एक अनुभवी एडवोकेट हैं, अतः उन्हें पांच मिनट और दे दिये जायें।

(अन्तर्बाधायें)।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। मैं देखता हूं कि सारे सदस्य समय बढ़ाने की सिफारिश करने के इच्छुक हैं, परन्तु जब सायंकाल की बैठक का सुझाव रखा गया था, तो माननीय सदस्य तुरन्त उठ खड़े हुए और कहा नहीं, नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस से सहमत हूं कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हजारों मीलों से आये हुए माननीय सदस्य दिन में दुबारा सदन की बैठक में आने को तैयार नहीं हैं।

क्योंकि सदन की यह इच्छा है कि श्री एस० वी० रामास्वामी अपना वक्तव्य चालू रखें, वह ९-५५ तक बोल सकते हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : धारा १७३ की प्रस्तावित उपधारा १–क में कहा गया है कि उप-धारा (१) के अन्तर्गत भेजी गई रिपोर्ट के साथ धारा १५७ के अन्तर्गत रिकार्ड हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा १६१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रिकार्ड हुए साक्ष्यों के प्रकथन तथा धारा १६४ के अन्तर्गत रिकार्ड हुए स्वीकृति के प्रकथनों की प्रतियां होंगी। मैं आप से सहमत नहीं हूं कि केवल इन्हीं प्रलेखों के आधार पर अभियोजन चलाया जाना है। इस के अतिरिक्त कई अन्य रिकार्ड होते हैं। जब तक कि समर्पण-कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हम ये सब प्राप्त न कर सकेंगे। समीक्षा के समय रिकार्ड किया गया प्रकथन बचाव के लिये अधिकतम महत्वपूर्ण प्रलेख है। परन्तु नये उपबन्ध के अन्तर्गत इन प्रलेखों को अभियुक्त को दे देने से रोका जा सकता है। अभियुक्त की दृष्टि से समीक्षा प्रतिवेदन तथा समीक्षा के समय रिकार्ड किये गये प्रकथन अधिकतम महत्वपूर्ण प्रलेख है। परन्तु इस धारा में इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि प्रस्तावित उपबन्ध

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

विधि के रूप में स्वीकार हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति अपराधी के खाने मे खड़ा किया जायेगा, उसे मृत्यु होने तक गरदन से लटकाया जायेगा। धारा १७३ को अब जिस रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है, उस का परिणाम यह होगा फिर शव-परीक्षा प्रमाणपत्र आदि है। मान लीजिये कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत प्रकथन रिकार्ड किये जाते हैं। क्या वे दिये जायेंगे या नहीं ? यदि वे दिये जायेंगे तो कब ? यदि आप समर्पण-कार्यवाही को हटाने के लिये उन सारे प्रलेखों को, जो रोज़नामचा में लिखे जाते हैं, देते हैं तो मैं पूर्ण सचाई तथा सद्भावना से कह सकता हूं कि अभिपक्ष एक भी अभियोग का परिचालन नहीं कर सकेगा। यदि आप ये प्रलेख अभियुक्त को दे देते हैं तो पुलिस एक अभियोग का भी परिचालन नहीं कर सकेगी। इस के परिणामस्वरूप किसी भी अभियुक्त का अपराध साबित नहीं होगा।

आपको लोगों की मनोवृत्ति भी समझनी चाहिये। मुद्रा-बाज़ार में पूंजी की भांति ही लोग दंड-न्यायालय में आकर साक्षी देने में हिचकिचाते हैं। क्योंकि पुलिस बहुत परेशान करती है। पंखे के नीचे बैठ कर कल्पना करने के बजाय आप को समझना चाहिये कि लोगों की मनोवृत्ति क्या है, कैसे हो रहा है तथा इस के सम्बन्ध में लोगों के क्या विचार हैं। आप को क्रियात्मक कठिनाइयां अवश्य समझनी चाहियें।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छे।

श्री एस० वी० रामस्वामी: यह चातुर्य-युद्ध है जो दण्डाधीश के समक्ष आरोप निवेशित करने के समय से, आरम्भ होता है। वास्तव में, यह अपराध करने के समय से ही आरम्भ हो जाता है। मैं आप को बताता हूं कि जांच पड़ताल निर्दोष नहीं होती है। इस बात का कोई विश्वास नहीं होता कि न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियुक्त वास्तव में अभियुक्त है तथा उस के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जब तक कि आप लोगों में यह भावना उत्पन्न नहीं करते कि न्यायालय में प्रस्तुत किये गये व्यक्ति ही अभियुक्त हैं तब तक लोगों को आगे बढ़ने तथा साक्षी देने के लिये तैयार नहीं कर सकेंगे।

यह हमारे लिये तथा श्री वेंकटारमन के लिए अत्यन्त सन्तोष की बात है कि उस संकल्प का जो हम ने १९४६ में मदुरा सम्मेलन में स्वीकार किया था, अब परिणाम अनुभव होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि विगत अगस्त में माननीय मंत्री को जूरी प्रणाली में पूर्ण विश्वास था। अब, वह इसे अभिअनुज्ञात बना रहे हैं। क्योंकि ८५ प्रतिशत से अधिक मत जूरी प्रणाली के विरुद्ध हैं। इतने पर भी मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ताकि यह पता लग जाये कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विद्यमान दंड प्रक्रिया में कैसे संशोधन किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा हार्दिक निवेदन है एक विधि आयोग नियुक्त किया जाये। यदि इस में एक वर्ष और लग जाता है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि केवल इस विधेयक में ही संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, तथा परिसीमन में, हमारे उद्देश्यों की दृष्टि से, संशोधन की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री मुझे इस के लिये, जो मैं ने कहा है, क्षमा करेंगे, और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस ले लेंगे तथा शीघ्र ही एक विधि आयोग नियुक्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सिंहासन सिंह अपने संशोधन पर बोलेंगे। तत्पश्चात्

श्री आर० डी० मिश्र और श्री मूलचन्द दुबे अपने-अपने संशोधनों पर बोलेंगे ।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट—जोरहाट) : श्री दुबे बोल चुके हैं । क्या हम लोगों को भी अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ? माननीय सदस्यगण चाहें, तो संकल्प पारित कर के दस घंटे बैठ सकते हैं । मैं समय कैसे बढ़ा दूं ?

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : जांच की प्रक्रिया और प्रशासन-पद्धति में परिवर्तन के लिये बहुत दिनों से दंड संहिता में परिवर्तन की प्रतीक्षा की जा रही थी । अब जो यह विशाल संशोधन किया जा रहा है, उस में समूची दंड प्रक्रिया संहिता को ले लिया गया है, परन्तु फिर भी कुछ बातें छोड़ दी गई हैं, अतः अपने इस संशोधन द्वारा मैं चाहता हूं कि सदन प्रवर-समिति को यह निदेश दे दे कि वह चाहे, तो संहिता की शेष धाराओं में भी संशोधन कर सकती है ।

जब हम ने सरकार नहीं बनाई थी, तो हम सदैव यह आन्दोलन किया करते थे कि न्यायपालिका कार्यपालिका से सर्वथा पृथक रखी जाये, जिस से स्वयं अभियोक्ता ही न्यायाधीश न बन जाये । इस सम्बन्ध में संविधान में रखे गये निदेशक तत्वों का कुछ थोड़ा सा संकेत इस विधेयक में किया गया है । विधेयक के पृष्ठ ३० में धारा ४०७ का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के नियमों की अपीलें अब तक जिला मजिस्ट्रेट के पास जाती थीं, पर न्यायपलिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की दृष्टि से अब वे सत्र न्यायाधीशों के पास जाया करेंगी । पर पता नहीं क्यों, इतने समय बाद अब भी सरकार ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । यदि मेरा संशोधन मान लिया गया, तो विधेयक का क्षेत्र बढ़ जायेगा और यह पृथक्करण संभव हो सकेगा । मेरी समझ में अब समय आ गया है कि इन दोनों को पृथक किया जाय, इसी कारण मैं यह बात प्रवर समिति को सौंप देना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि इस के लिये उपयुक्त समय आया या नहीं । जब डा० काटजू यू० पी० में गृह तथा विधि मंत्री थे, तो उन्हों ने इस दृष्टि से न्यायिक मेजिस्ट्रेटों को जिला मेजिस्ट्रेटों के नहीं, बल्कि अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट के अधीन रखा था । यदि वे उन को जिला न्यायाधीशों के अधीन रखते तो ज्यादा अच्छा होता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८(क) के अनुसार उच्च न्यायालय (ख) के अनुसार सत्र न्यायालय या (ग) के अनुसार कोई अन्य न्यायालय जो, द्वितीय अनुसूची के आठवें स्तंभ में बताये गये अपराधों की जांच कर सकता है किसी भी अपराध की जांच कर सकेगा । यदि धारा २८(ग) में उचित संशोधन किया जाये और इन न्यायिक मेजिस्ट्रेटों को जिन में बहुत से एल० एल० बी० हैं, उच्च न्यायालय के अधीक्षण में रखा जाये, तो सरकार के ऊपर न्यायपालिका को अब तक पृथक न करने के लिये लगने वाला लांछन दूर हो सकता ।

इस विधेयक की लोगों ने साधारणतः विशेष निंदा की है । मैं माननीय मित्र श्री रामास्वामी से सहमत नहीं हूं कि १५ प्रतिशत मामले ही सही होते हैं और ८५ प्रतिशत झूठे । मेरा विचार है कि पुलिस जिन व्यक्तियों का चालान करती है, उन में से अधिकांश उस अपराध से किसी न किसी रूप में संबद्ध होते हैं ।

विधेयक में कुछ बड़े अच्छे उपबन्ध रखे गये हैं । पहले तो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा उस पर आरोप लगाने के लिये तैयार किये गये सभी कागज प्राप्त हो सकेंगे ।

[श्री सिंहासन सिंह]

जब तक प्रतिवादी सभी आरोपों को न जान लें, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अतः मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं। दूसरे द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों से अपील जिला मेजिस्ट्रेट के पास नहीं, बल्कि सत्र न्यायाधीशों के पास जाया करेगी :

अब तक न जमानत योग्य मामलों में पुलिस आगे साक्ष्य की आशा से अभियुक्तों का हवालात-काल बढ़वाती रहती थी। अब एक सुन्दर उपबन्ध यह रखा गया है कि या तो उसे छः हफ्ते में अभियोग द्वारा कर देना होगा या उसे जमानत पर छोड़ देना होगा।

कुछ लोगों का विचार है कि हस्तक्षेप मामलों में समर्पण-कार्यवाहियों (कमिटमेंट प्रोसीडिंग्ज) को समाप्त न किया जाना चाहिये : पर मैं इसी प्रक्रिया के साथ सहमत हूं। प्रस्तुत परिस्थितियों में समर्पण-कार्यवाहियों में ही अभियुक्त का सारा पैसा समाप्त हो जाता है और सत्र न्यायालय में अपनी रक्षा के लिये उस के पास कुछ नहीं बचता। यह कहना गलत है कि इस प्रकार के सभी मामलों में अभियुक्त छूट जाता है, यह साक्षियों के साक्ष्य में भारी भूलों के कारण होता है। इस उपबन्ध से भी अभियुक्त की बहुत कुछ परेशानी दूर हो जायेगी।

वारंट-मामलों की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। अभी जब तक धारा २५२ के अनुसार जांच चलती है, और कुछ नहीं होता। बाद में साक्ष्य-परीक्षण आदि होते हैं। इस प्रकार बहुत समय लगता है। अब यदि अभियुक्त चाहे तो साक्षी विशेष को आगे फिर प्रत्यनुयोग के लिये अन्त तक रोका जा सकेगा। यह भी बड़ा अच्छा उपबन्ध है।

निजी अभियोक्ताओं के मामले पहले तो पुलिस के मामलों के बाद में लिए जाते हैं और फिर वे प्रायः छूट जाते हैं और फिर अपील का भी अधिकार केवल सरकार को ही मिला हुआ है,। अब एक उपबन्ध रखा गया है, जिस के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। पर यहां मैं यह सुझाऊंगा कि मेजिस्ट्रेट द्वारा छोड़े जाने के बाद अपील पर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी माने जाने पर ही यह अपील हो सके, इस दृष्टि से इस में संशोधन कर देना चाहिये।

धाराएं १४५ और १४६ एकत्र आबद्ध कर दी गई हैं, इस से लोग यह कह सकेंगे कि वास्तविक स्वामी वे हैं और मजिस्ट्रेट कहेगा कि साक्ष्य दोनों ओर है और कुछ उपबन्ध न होने से वह उस संपत्ति को वास्तविक स्वामी को न लौटा सकेगा और वास्तविक अधिकारी उस संपत्ति से वंचित रह जायगा। इसी प्रकार धारा १४७ के बारे में भी वैसी ही कठिनाई पैदा होंगी और मालिक उस भूमि से जब तक वंचित रहेगा जब तक वह दीवानी न्यायालय में न जायें। इस धारा का विलोप ही कर देना चाहिये था। इसी प्रकार धारा १०७ का भी दुरुपयोग हो सकेगा और कुछ लोग पुलिस को रुपया दे कर प्रतिपक्षी को जेल में डलवा सकेंगे।

धारा १६२ अभियुक्त के लाभ की है, क्यों कि साक्षी को पहले न कही गई बात कहने से रोकती है। पुलिस के सामने और अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिये गये वक्तव्यों के बाद यदि कोई साक्षी न्यायालय में सच बोलना चाहे, तो वह उस में बाधक न बने इस के लिये इस में उपयुक्त संशोधन करना होगा। इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, क्योंकि न तो दोषी व्यक्ति छटना चाहिये और न निर्दोषी व्यक्ति फंसना चाहिये।

माननीय मंत्री ने इस विधेयक को पुरः स्थापित करते समय इसे ऐतिहासिक विधेयक बताया था, परन्तु साथ ही मुझे आशा है कि

वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर के एक ऐतिहासिक कार्य करेंगे । धारा २८ का संशोधन कर देने से ही यह संभव हो सकेगा ।

श्री आर० डी० मिश्र : (ज़िला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं अपने मंत्री महोदय को भी मुबारकबाद देता हूं कि वह ज़ाब्ता फौजदारी कानून में तरमीम करने के खातिर यह बिल लाये हैं और जैसा उन्होंने इस तरमीमी बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स में बतलाया है, मैं उन से पूरी हमदर्दी रखता हूं और मैं उस में उन के साथ हूं । जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर ने बतलाया कि ७० फीसदी केस तो नीचे की अदालतों से छूट जाते हैं, तेरह फीसदी केस ऊपर की अदालतों में छूट जाते हैं, यानी ८३ फीसदी केस छूट जाते हैं, १७ फी सदी केस रह जाते हैं , उन में भी जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो कुछ वहां से और छूट जाते हैं । आज हालत यही हो रही है और मैं पूछता हूं कि जिस देश के अन्दर इतनी बड़ी तादाद में मुलज़िमान छूटते हों, उस देश में न्यायालयों पर जनता का कैसे भरोसा क़ायम रह सकता है ? और आज हकीकत यह है कि जनता को न्ययायालयों पर कोई विश्वास नहीं रह गया है और तमाम जगहों पर झूठ का बोलबाला है । जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है, मैं अपने होम मिनिस्टर को इसको हाउस के सामने लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं लेकिन मुझे माफ करें अगर मैं कहूं कि इस बिल को देख कर मुझे ताज्जुब हुआ कि आया जो कुछ हमारे होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं वह बात इस से पूरी तरह हासिल हो भी सकेगी या नहीं । हमें यह नहीं बतलाया गया कि किस तरह से यह अन्याय दूर हो सकता है और कैसे इंसाफ दुनिया में वापिस लाया जा सकता है । यह देश हमारा जो कभी सत्य और न्यायवादिता के लिये मशहूर था, आज उस की क्या दशा है ? लोग यह अक्सर कहते सुने जाते हैं कि अदालत में जाकर सच बोलना तो गुनाह है और "अरे भाई यहां कोई अदालत थोड़े ही है कि झूठ बोलो, यहां तो सच बोलो" । आज हमारी अदालतों में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता और मेरा अपना तो यह अक़ीदा रहा है और पिछले २८ वर्ष से मैं इस वकीली का पेशा करता आया हूं मेरा तो यह अकीदा रहा है कि जहां पर यह अदालतें होती हैं उस के बीस गज़ के फासले तक चारों तरफ झूठ का प्रचार होता है । मुझे इस सिलसिले में एक बात याद आगयी । सन् १९३७ में जब मैं लखनऊ गया, तो पंत जी ने मेरी मुलाकात भल्ला साहब से कराई और बतलाया कि इन को हम ने करप्शन रोकने के लिये आफिसर मुकर्रर किया है । उस के बाद भल्ला साहब मेरे पास आये और कहा कि हमें कुछ मुकद्दमात दीजिये । मैं ने उन से कहा, जनाब, मैं कोई पुलिस अफसर नहीं हूं कि मैं आप को मुकद्दमे पकड़वाऊं, क्या आप ने हम कांग्रेस मैनों को पुलिस का दलाल समझा है कि हम आप को केसेज पकड़वाते रहें । आप को पंत जी ने इसीलिये नौकर रखा है, आप खुद तहकीकात कीजिये और पता लगाइये, मैं क्या बतलाऊं ? आप मुझ से पूछते हैं कि करप्शन का केस बतलाओ, मैं कहता हूं कि आप जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, इस के किसी कोने के अन्दर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिस को मैं यह बता सकूं कि यह करप्ट नहीं है । किस किस को मैं बतलाऊं ? हर कोने का थानेदार, तहसीलदार, सिपाही, चपरासी हाकिम अदालत सारे का सारा अमला इस मर्ज में मुब्तिला है, आवे का आवा ही खराब है, पर मैं करूं क्या, इस की जिम्मेदारी किस पर है ? मैं तो इस बारे में निवेदन करने के लिये मौका तलाश कर रहा था और आज मुझे सौभाग्य से इस जाब्ता फौजदारी कानून

[श्री आर० डी० मिश्र]

को तरमीम करने के सिलसिले में अपने होम मिनिस्टर से अर्ज़ करने का मौका मिला। मैं तो मानता हूं कि अकेले यह जाब्ता फौजदारी का कानून देश की मौजूदा हालत के लिये जिम्मेदार है। आज जो करप्शन और झूठ चल रहा है, जो एडल्टरी हो रही है, और यह जो सरकारी दफ्तरों में रिश्वतसतानी बढ़ रही है और चल रही है उस की जिम्मेदारी इस मौजूदा जाब्ता फौजदारी कानून पर है। इन सब बुराइयों की जिम्मेदारी क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड पर है। इस का यह मतलब न समझ लीजियेगा कि ताजीरात हिन्द के कानून में कोई अच्छी चीज नहीं है। उस में बड़ी अच्छी अच्छी दफायें हैं लेकिन जो उन का असर होना चाहिये, मुलज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिये उस के लिये कानून है लेकिन इंसाफ दिलाने के लिये नहीं जो जाब्ता बनाया गया है वह इतना निकम्मा बनाया है कि उस ने सत्यानाश कर दिया तमाम न्याय का। आप पूछेंगे कि कैसे कर दिया, तो सुनिये मैं आप को बताता हूं कि जाब्ता फौजदारी में जुर्मों को दो भागों में बांटा गया है कागनेजेबुल और नानकागनेजेबुल। कागनेजेबुल और नानकागनेजेबुल केस क्या हैं? इस का मतलब है कि कागनेजेबुल मुकदमा वह है जिस में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर ले और दूसरा मुकद्दमा वह जिस में नानकागनेजेबुल ऐसा कि जिस में पुलिस मेजिस्ट्रेट से वारंट हासिल कर के गिरफ्तारी करे। आज यह है कि अगर कोई सरकारी अफसर रिश्वत लेंगे तो उन पर मुकद्दमा चलाने के लिये सरकारी सैक्शन की जरूरत पड़ेगी, अगर अदालत में कोई झूठ बोलेगा तो अदालत मुकद्दमा चलायेगी और अगर कोई शख्स डिफेमेटरी एलिगेशन करेगा तो खुद जिस को गाली दी होगी वह मुकदमा दायर करेगा, अगर किसी की घर वाली को कोई भगा कर ले गया है तो उस का पति मुकदमा दायर करेगा और अगर किसी की औरत के साथ कोई व्यभिचार करता है तो पहले तो उस में यह तहकीकात होनी चाहिये कि औरत की उस में रज़ामन्दी तो नहीं थी और जब यह साबित हो जाय कि उस की रज़ामन्दी नहीं थी और उस के संग जबरदस्ती व्यभिचार किया गया तो उस औरत का पति जा कर फरियाद करे कि मेरी बीबी के साथ फलाने ने जिनाह किया। मैं कहता हूं कि यह जो इस जाब्ता फौजदारी कानूनमें १९५, १९६, १९७ और १९८ दफायें बना दी हैं, इन दफाओं ने आपकी तमाम दंड पद्धति का सत्यानाश कर के रख दिया है। इन के रहते उन सरकारी अफसरों के ऊपर जो कि रिश्वत लेते हैं पुलिस मुकद्दमा नहीं चला सकती और पुलिस अफसर बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। सरीहन थानेदार बैठा रहे और उस के सामने पेशकार रिश्वत लेता है लेकिन वह क्या करें, हम इस में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यह नान कागनेजेबुल आफेन्स है। वह कहते हैं कि मुझे कोई अखित्यार नहीं है तुम मेजिस्ट्रेट के यहां चले जाओ और इस के खिलाफ शिकायत करो और उस पर मुकदमा चलाओ। थानेदार सामने बैठा रहता है और उस के नीचे जो मुंशी रहता है वह रपट लिखाई चार रुपये ले लेता है और जब थानेदार से कहो तो वह जवाब देता है कि वह तो सरकारी अफसर है, हम कैसे अपने आप उस को गिरफ्तार कर सकते हैं, वह तो नान कागनेजेबुल आफेन्स है। यह भी खूब है कि सब इंसपैक्टर के नीचे कांस्टेबुल काम करता है और वह रिश्वत लेता रहे, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नान कागनेजेबुल आफेन्स में आता है। लेकिन इस के यह मानी नहीं कि वह नानकागनेजेबुल आफेन्स में कुछ कर नहीं सकते, अगर पुलिस के जी में आ जाय तो नानकागनेजेबुल आफेन्स में भी केस को चला देती है। इस सिलसिले

में मैं आप को अपना तजुर्बा बतलाऊं कि सन् १९३० में मेरे ऊपर ५०६ में केस चला दिया। जब मेरे ऊपर मुकद्दमा चलाया गया तो मैं ने मुकद्दमे में बहस की। मैंने कहा कि जनाब हम कांग्रेसी तो ये अंग्रेजी कानून आपके नहीं मानते, लेकिन आप तो सरकारी नौकर हैं। उस समय के० प्रसाद डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थे मैंने उन से और लक्ष्मी शंकर मेजिस्ट्रेट अदालत से कहा कि जनाब आप सरकारी नौकर हैं और आप तो सरकार के कानूनों को मानते हैं, यह नान कागनेजेबुल आफेंस है, मुझ पर पुलिस की रिपोर्ट पर केस नहीं चल सकता, यह आप पुलिस की रिपोर्ट पर कैसे मेरे खिलाफ केस ले आये? और मैं ने जुर्म क्या किया था, कोई एक इश्तिहार हमारे कांग्रेस दफ्तर से जारी हुआ बहैसियत प्रेसीडेंट मेरे उस पर हस्ताक्षर थे उस में लिखा था कि लोग अपनी विदेशी कपड़े की दुकान सील कर दें नहीं तो उन की दुकानों पर पिकेटिंग होगी, मैं ने कहा कि जिस दुकानदार की बाबत आप को मालूम हुआ कि हम ने उस से कहा कि दुकान के विदेशी कपड़े को मुहरबन्द करे उस को मुकदमा चलाना चाहिये। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई और दो साल की सजा ठोक दी। इसी तरह मैं आप को बतलाऊं कि सन् १९२१ में मेरे ऊपर ५०४ का मुकद्दमा चलाया गया और आप जानते हैं कि मैंने क्या जुर्म किया था कांग्रेस दफ्तर की तलाशी लेने के लिये पुलिस वाले आये और दफ्तर की तलाशी ली। शाम को जलसा हुआ, उस में कुछ कांग्रेसी बैठे थे, शायद उन में से किसी के मुंह से निकल गया 'लानत' हम ने कहा भी नहीं लेकिन हम से कहा गया कि तुम ने यह लफ्ज़ कहा और ५०४ हमारे ऊपर लगाया गया। मैं ने पूछा कि ५०४ में पुलिस को चालान करने का अखित्यार किस ने दे दिया वह तो नानकागनेजेबुल आफेन्स है, उस के बाद सन् ३० में १०८ में के० प्रसाद साहब की अदालत में मेरे ऊपर मुकद्दमा चलाया गया. . . . .

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): यह तो आप सन् ३० की चर्चा कर रहे हैं।

श्री आर० डी० मिश्र: यह एक वकील की चर्चा है कि अदालतों में कैसे काम होता है, सन् २१ से लेकर आज तक क्या हो रहा है, यह मैं आप को बतला रहा था। दफा १०८ में लिखा है कि :

अगर कोई सामग्री जिस का पबलिकेशन १२४–क में जुर्म हो तो १०८ में सज़ा हो सकती है। हम ने कहा कि जनाब इस में जो यह पबलिकेशन लिखा है तो हम ने तो कोई पबलिकेशन नहीं किया है, यह हम पर किस बात का मुकद्दमा चला रहे हैं। आप १२४ पढ़ लीजिये। १५३ पढ़ लीजिये।

मैं ने कहा कि मैं ने तो कोई गुनाह नहीं किया और मुझ पर यह मुकद्दमा क्यों चलाया जा रहा है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई और एक साल की सज़ा ठोक दी। यह मैं सन् ३० की बात बता रहा हूं जब कि के० प्रसाद डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थे, वह रिटायर भी हो चुके। मैं ने उन से कहा और मैं ने लिख दिया कि मैं इसे अदालत तसलीम नहीं करता लेकिन आप तो तसलीम करते हैं, आप को तो अपनी गवर्नमेंट के बनाये कानूनों को मानना चाहिये। मैं उस समय सोचता था कि जब कभी स्वराज्य होगा तो इस ज़ाब्ता फौजदारी की धज्जियां उड़वा कर रख देंगे, मैं इसे कायम रहते नहीं देख सकता। मैं इसे बरदाश्त नहीं कर सकता। इसीलिये मैं ने अपनी तजवीज़ दी है कि इस किताब का नाम बदल दिया जाय। और इस का नाम बदलने के बाद जो आप यहां के नागरिकों की मदद के लिये जाब्ता कानून बनायें उस का नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १९५४ रक्खें और जो वाकई आजादी के बाद का कानून

[श्री आर० डी० मिश्र]

मालूम पड़े । आप पूछेंगे कि यह हिन्दुस्तान में झूठ पर्जरी कहां से शुरू हुई है ? इस की शुरुआत यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त से शुरू होती है, होता यह था कि देशी हुकूमत के इशारे पर पुलिस वाले और थानेदार अपने विदेशी मालिकों को खुश करने के लिये झूठे बयानात लिख कर मुकद्दमे बनाते थे और उन पर मुकद्दमे चलाते थे, झूठे बयानात अपनी डायरी में दर्ज करते थे और लोगों पर मुकद्दमा चलाते और उन पर तरह तरह के जुल्म करते थे क्योंकि उन को अपने अफसरों को खुश करना होता था, लेकिन अब तो यहां पर विदेशी हुकूमत नहीं रही है और इसलिये जनता को बेजा दबाना नहीं चाहिये । सन् १८८२ का जो फौजदारी कानून था उस में लिखा था कि थानेदारों के सवालों में जवाब हर व्यक्ति सच्च देगा । दफा में, "ट्रूली" लिखा हुआ था । लेकिन दफा १६१ सब क्लाज़ २ में यह है कि उसे उत्तर देना होगा ।

ट्रूली का शब्द सन् १८८२ के कानून में था, लेकिन १८९८ वाले कानून से अंग्रेजों ने उस ट्रूली लफ्ज़ को उड़ा दिया । अब क्या बन गया केस ला जिस वक्त हमारे एक दोस्त बने अदालतों के वर्किंग के बारे में कुछ कहा तो हमारे कुछ वकील लोग नाराज हो गये और कहने लगे कि हम तो झूठे मुकद्दमे नहीं चलाते, और आप ऐसा कह कर वकीलों के पेशे को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं उन साहबान से जो यह अकड़ कर कह रहे हैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे भी करीब अट्ठाईस वर्ष लोअर कोर्टस् में काम करने का तजुर्बा हासिल है और मैं जानता हूं कि वहां पर किस तरह से गवाहियां मैनुफैक्चर की जाती हैं और झूठे मुकद्दमें चलाये जाते हैं, हो सकता कि वह चूंकि बड़े दिग्गज वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही बहस करते हैं जहां मोटी मोटी किताबें पेश की जाती हैं और दुनिया भर की रूलिंग्स का हवाला दिया जाता है और जहां २५०० रुपये तक का तगड़ा मेहनताना लिया जाता है, वहां पर काम करने वालों को इस का तजुर्बा न हो लेकिन मैं उन की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आज न्याय या इंसाफ भी बन गया है ।

आप के न्याय की तारीफ है "बिफूलिंग दी जज" । मोटी मोटी किताबों को पेश कर के और तर्क दे कर के जिस ने जज को अपनी ओर घुमा लिया, उस का काम बन गया । साहब वाकया तो यह है कि कोई कत्ल हुआ, और मुकद्दमा चला तो निगरानी में कोई नहीं पूछता कि कोई कत्ल हुआ या नहीं, पूछते क्या हैं, इस के लीगल ऐस्पेक्ट पर बहस करो, कानून पर बहस करो कि यह कांस्टीट्यूशनल है कि नहीं, भला पूछो इन से कि ये क़त्ल हुआ है, उस के बारे में फैसला करो, इस में कांस्टीट्यूशन का कानून क्या करेगा । वहां पर बहस होती है कि मेजिस्ट्रेट ने सम्मन बाद में जारी किया पर पहले नहीं जारी किया और कभी कहते हैं कि इस केस में कागनीजेन्स कानून के मुताबिक नहीं लिया गया । मेरे पास रूलिंग है और वह रूलिंग आर० आर० चारी कानपुर के केस की है । उस में बहस थी कि कागनीजेन्स शब्द का अर्थ क्या है । लेकिन जाब्ता फौजदारी में कहीं कौगनीजेंस की डेफीनीशन का पता ही नहीं है । उस आर० आर० चारी की रूलिंग में लिखा हुआ है कि जाब्ता फौजदारी कानून में कोगनीजेंस की कहीं तारीफ नहीं है तो क्या हुआ । हमारे संविधान में एक और बिल बना हुआ है कि तमाम देश में कानून की निगाह में हर आदमी बराबर रहेगा लेकिन हकीकत क्या है । बम्बई हाई कोर्ट कहता है कि हमारी रूलिंग मानो, मद्रास कहता है कि हमारे रूलिंग मानो, कलकत्ता कहता है कि हमारी मानो, पटना

कहता है कि हमारी मानो और इलाहबाद हाई कोर्ट कहता है कि नहीं हमारी रूलिंग मानो और सब अपना अपना फैसला अलग अलग देते हैं। आज होता यह है कि एक मर्तबा हाई कोर्ट फैसला देता है कि यदि हाई कोर्ट में सिंगल जज का जो फैसला हो उस फैसले के खिलाफ मत जाओ, अगर जज को एखतलाफ हो तो मुद्दई और मुद्दालेह पर छोड़ दो, वह अपने आप अगर चाहेंगे तो अपील कर लेंगे और ऊंची अदालत से फैसला करा लेंगे और उस अदालत पर रूलिंग के लिये छोड़ दो। फिर उसी हाई कोर्ट में यह राय बनती है कि अगर कोई जज फैसले से एखतलाफ करे तो बेंच को रफर कर दे, बेंच के बाद डिवीजन बेंच अगर डिफर करती है तो फुल बेंच को रैफर कर दिया जाय और उस के बाद मुद्दई और मुद्दालेह पर छोड़ दिया कि वह चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें।

मैं चाहता हूं कि आज जब आप इस फौजदारी कानून में संशोधन करने जा रहे हैं तो सब से पहले तो आप को यह कानून बनाना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के अन्दर अगर एक सिंग्ल जज दूसरे जज पहले फैसले से डिफर करे तो इसे उस केस को बगैर फैसला किये हुए डिवीजन बैंच को रैफर कर देना चाहिये और डिवीजन बेंच उस मामले में जो फैसला देगी उसको माना जायगा। और अगर डिवीजन बैंच डिफर करती है तो उसे फुल बैंच को रैफर करा जाय और अगर एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट से डिफर करे तो उस केस पर रूलिंग देने के लिये सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा। और सारे मुल्क को उसे मानना होगा, नहीं तो आप किस की मानेंगे और किस की नहीं मानेंगे, मद्रास का हाई कोर्ट एक रूलिंग देता है, बम्बई का हाई कोर्ट दूसरी रूलिंग देता है और आप देखते हैं कि एक कौगनीजेन्स शब्द के ऊपर चार वर्ष तक मुकद्दमा चला...

मैं चाहता हूं कि इस तरह कानून में लूप होल न हो जिस से बेकार की बहस में समय और रुपया बर्बाद जाय और सालों मुकद्दमे चलते रहें। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहता हूं कि सन ४७ में कांग्रेस ने हकूमत की बागडोर सम्हाली, हम ने देखा कि देश में बड़ी रिश्वतस्तानी बढ़ रही थी और अखबार वालों ने भी इस बात को कहा कि देश में रिश्वत का बाजार गर्म है, हम कांग्रेस वाले रिश्वत और करप्शन को बन्द करने के लिये जबान दे चुके हैं, हम ने भी अपने मंत्रियों का इधर ध्यान दिलाया और उन्हों ने अपने सेक्रेटैरियों से कहा कि रिश्वत अब बन्द होनी चाहिये, तमाम सेक्रेटैरियों ने कहा कि हां हुजूर बन्द होनी चाहिये। लेकिन रिवश्त नहीं बन्द हुई। तमाम पार्लियामेंट के मेम्बर जोर लगाते हैं लेकिन रिश्वत बन्द नहीं होती। तमाम पुलिस के आई जीज़ की एक कानफरेंस हुई यह जानने के लिये कि रिश्वत क्यों बन्द नहीं होती। मालूम पड़ता है कि पुलिस वालों ने मश्विरा दिया कि जाब्ता फौजदारी में लिखा है कि पुलिस वाला बगैर वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। इसलिये अगर रिश्वत लेने का जुर्म कागनिजेबुल आफेंस हो तो रिश्वत बन्द हो जाय। यह चीज होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी गयी होगी। चुनांचे सन् १९४७ में रिश्वत को रोकने का एक कानून पास किया गया। मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस को कागनीजेबुल बना दिया जाय और दफा ३ में लिखा है कि धारा १६१ या १६५ के अधीन दंडय औफेन्स कौगनेजेबल माना जायगा। अब जरा गौर कीजिये परन्तु पुलिस सुपरिनटेंडेन्ट से नीचा पुलिस अफसर प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट के आर्डर के बिना इस की जांच न करेगा। क्या मतलब हुआ ? कागनीजेबुल आफेंस के लिये लिखा है कि पुलिस वाला बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ऊपर तो यह

[श्री आर० डी० मिश्र]

लिख दिया लेकिन नीचे लिख दिया कि "कैन नौट अरेस्ट विदाऊट वारंट" और हाउस से यह कानून पास कर लिया। किसी ने कोई गौर नहीं किया कि ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है। यह कानून १५ मिनट में पास हो जाता है। अदालतों में चाहे जितनी रिश्वत चल रही हो, बेईमानी चल रही हो लेकिन पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स के मुताबिक यह कानून १५ मिनट में पास हो जाता है। हम ने डिमाक्रेसी वाली बात भी पढ़ी है कि कानून बनाने के पहले बहस मुबाहिसा किया जाये। जब सब लोग अपनी राय सामने रखते हैं तो कानून अच्छा बनता है क्योंकि बिल आफ दी पबलिक मालूम होती है। लेकिन यहां पर बिल आफ दी पबलिक से कोई मतलब नहीं है। हम यहां बैठे बैठे गुर्राते रहते हैं और हमारी कोई नहीं सुनता, जनसंघ वाले और कम्युनिस्ट आते हैं और अपनी बात कहते चले जाते हैं। वह पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से बाहर देशों की मोटी मोटी किताबें लाते हैं पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाली अंग्रेजी में दी जाती है, पार्लियामेंटरी ढंग से उन को लिख कर लाते हैं और उन्हीं बातों को यहां कहते हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छी तकरीर की क्योंकि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की लैंग्वेज है। तो यह सन् १९४७ का कानून है और इसी के मातहत एक अफसर पर मुकदमा चला। मेरा मतलब कानपुर के स्टील कंट्रोलर आर० आर० चारी के केस से है। उन्हों ने बड़ी रिश्वत ली होगी इसलिये उन पर मुकद्दमा चला। मिनिस्टर साहब या किसी बड़े अफसर ने यह मामला तहकीकात के लिये पुलिस के सुपुर्द कर दिया। २७ अक्तूबर सन् १९४७ को गिरफ्तारी हुई। लेकिन जमानत हो गई। इस के बाद पहली दिसम्बर सन १९४७ में गवर्नमेंट ने उन की ट्राइल के लिये एक स्पेशल मेजिस्ट्रेट की कोर्ट मुकर्रर की। यह भी सन् १९४८ के बाद। इतने अर्से तक यह केस पड़ा रहा। कहां पड़ा रहा क्यों पड़ा रहा। मैं ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग १९५१ एस० सी० आर० ३१२ देखी, पता नहीं लगा कि मुकद्दमा बीच में कहां पड़ा रहा। विचार करने से अंदाज लगा कि यह तो मिनिस्ट्री में घुसा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पुलिस तहकीकात करती रही। किस बात की तहकीकात करती रही? सन् ४९ में गवर्नमेंट आफ इंडिया से सैंक्शन हुई कि इन पर केस चलाया जाय। गिरफ्तारी सन् ४७ में हुई और सैंक्शन सन् ४९ में हुई सवा बरस के बाद। बात यह है कि विभाग वाले मिनिस्टर के आगे पीछे लगे रहते हैं और मिनिस्टर उन की बात को ही सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। हम लोग पीछे पड़ते हैं तो हम से तो अकड़ जाते हैं लेकिन उन लोगों से दबते हैं। वोट हमारी है लेकिन रक्षा उन की करते हैं। अब देखिये कि पबलिक सरवेंट्स का डिफेमेशन से बचाव किया गया है लेकिन इस में हमारे लिये कोई गुंजाइश नहीं है। पार्लियामेंट के मेम्बर की कोई रक्षा नहीं है। अगर हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी में पिट गये तो मिनिस्टर साहब कहीं के भी नहीं रह जायेंगे। हम राजप्रमुखों को खत्म करना चाहते हैं लेकिन वह उन की रक्षा करने को तैयार बैठे हैं। हमारी रक्षा कोई नहीं करता। आज आप पबलिक सरवेंट की रक्षा करते हैं। लेकिन विलेज पंचायत का मेम्बर पबलिक सरवैंट है, एक म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर पबलिक सरवेंट है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर पबलिक सरवेंट है, यानी चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक सब पबलिक सरवेंट हैं और हम जो एम० एल० ए० और एम० पी० हैं वह कहीं भी नहीं हैं। हमारी इस कानून में कहीं रक्षा नहीं। हम दिन भर हाउस में बैठते हैं, अपना घर बार छोड़ कर यहां पड़े रहते हैं लेकिन हम पबलिक सरवेंट

नहीं हैं। और हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है ।

श्री अलू राय शास्त्री : हम पबलिक हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : तो जब आर० आर० चारी पर मुकद्दमा चला तो उन्हों ने मेजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐतराज किया कि मंजूरी ठीक नहीं है और दरखास्त दे दी। मेजिस्ट्रेट ने सोचा होगा कि हम तो मेजिस्ट्रेट हैं, हम तो मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो दरखास्त रिजैक्ट ही करेंगे । ये आई० सी० एस० और आई० ए० एस० सब एक हैं और मिले हुए हैं। रोज शाम को क्लब में शराब पीते हैं और नाचते हैं। मजा होता है। तो उस के बाद में क्या हुआ। केस चला। हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। बहस यह की गई कि २७ अक्तूबर सन् १९४७ के पहले सेंक्शन होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि जब केस चलाना था तो पहले सैंक्शन क्यों नहीं दी। जब वारंट से गिरफ्तार किया तो सैंक्शन उस के पहले होनी चाहिये थी। यह लूप होल रखा। आज होम मिनिस्टर साहब के विभाग में लूप होल है। मैं कहता हूं कि उन को बन्द कीजिये। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं मिनिस्ट्री ने वारंट के पहले सैंक्शन दी। और जिस ने सैंक्शन नहीं दी उस को दफ्तर में क्यों नौकर रखा हुआ है। उस की वजह से चार बरस केस लड़ता रहा। उस मुकद्दमे में लड़ने की वजह यह थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी और वकील लोग उस किताब को ले कर आये और हाई कोर्ट के सामने पेश की और कहा कि यह माई लार्ड की रूलिंग है। अब एक माई लार्ड दूसरे माई लोर्ड की रूलिंग को कैसे नामंजूर कर सकते हैं। जब माई लार्ड के सामने पेशी हुई तो उन्हों ने कहा हमारा सूबा दूसरा है हम तो खारिज किये देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट में वह रूलिंग पेश हुई और हमारे चटर्जी साहब ने पैरवी की। उन्हों ने खूब मेहनताना लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सन् ४७ की २७ अक्तूबर से जो कार्रवाई हुई वह १५६ (३) में आ जाती है। इसलिये मुकद्दमा चलाया जाये। तो, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि कागनिजेबुल आफेंस क्या होता है। आप को इस चीज को जाब्ता फौजदारी में लिख देना चाहिये नहीं तो छोटी छोटी जगहों में वकील फिर भी अदालतों को उसी कलकत्ता की रूलिंग को दिखला कर बहकाते रहेंगे। जब केस ला डिक्लेअर हो जाये तो आप को उस के मुताबिक अमेंडमेंट कर देना चाहिये। मुझे और बहुत सी बात कहनी थीं लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब नाराज हो रहे हैं इसलिये मैं खत्म करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे । माननीय संसद कार्य मंत्री का कहना है कि अब सदन सम्मान-प्रदर्शन के लिये स्थगित हो जाये ।

इसके पश्चात् सभा शनिवार, ८ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD 157 PSD 8-11-54—285